घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 328- बुधवार 30- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आयोग-सरकार के खिलाफ रणनीति पर बैठक

राहुल बोले...पिछले कई चुनावों में फिक्सिंग हुई मुख्य चुनाव आयुक्त समझौता कर चुके...

नई दिल्ली,29 सितम्बर 2026। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को ढाई घंटे बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी ने कहा...'मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी तरह समझौता कर चुके हैं और देश की चुनाव व्यवस्था 'फिक्स' है। हाल के सभी चुनाव अवैध हैं। 'राहुल ने कहा, 'चाहे ईवीएम हो या मतदाता सूची, दोनों से छेड़छाड़ की गई है। दोनों का इस्तेमाल भाजपा चुनाव जीतने की रणनीति के तौर पर कर रहे है।

बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तत्काल इस्तीफा दें। एसआईआर तत्काल रोकी जाए। हटाए गए 13 करोड़ 30 लाख नाम बहाल किए जाएं,प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में 68 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कहा कि उनकी पार्टी वोटर लिस्ट और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के मुद्दों को संसद में उठाएगी और प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,

'मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार की कठपुतली बन गए हैं। उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से उस मजबूत लोकतांत्रिक नींव को खोखला कर दिया है जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया था। युवाओं को वोट देने से रोकने की साजिश- पीएम मोदी ने युवाओं को वोट देने से रोकने की साजिश रची है। फॉर्म 6 से जुड़े नियमों में गैरकानूनी तरीके से बदलाव किया गया। 'कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा...'एसआईआर प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था के मामले में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप करना उनका कर्तव्य है। इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की न तो नैतिक जिम्मेदारी है और न ही नैतिक अधिकार। यह सीडब्ल्यूसी की राय है।

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा... 'लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारा मानना है कि पूरे देश को खड़ा होना होगा। हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और इस लड़ाई में सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश,बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किये

नई दिल्ली,29 सितम्बर 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद की कुल दस सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 और बिहार की 4 विधान परिषद सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इनमें स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के लिए घोषित उम्मीदवारों में, वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदारनाथ सिंह,मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल,इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से प्रमोद मिश्रा,आगरा शिक्षक क्षेत्र से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी, गोरखपुर और फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से ध्रुव त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार में भाजपा ने चार विधान परिषद क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम सामने रखे हैं। पार्टी के अनुसार पटना शिक्षक क्षेत्र से नवल किशोर यादव,कोसी स्नातक क्षेत्र से डॉ. एन.के. यादव, दरभंगा स्नातक क्षेत्र से सर्वेश कुमार,तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव मैदान में होंगे। भाजपा द्वारा दोनों राज्यों की कुल 10 विधान परिषद सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश में छह और बिहार में चार सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब इन क्षेत्रों में पार्टी की चुनावी गतिविधियां और प्रचार अभियान आगे बढ़ने की उम्मीद है।

तुर्किये के राष्ट्रपति के यूएन में जम्मू-कश्मीर के संदर्भ को भारत ने किया खारिज

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 2026। विदेश मंत्रालय ने तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब इरदुगान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण में जम्मू और कश्मीर से जुड़े संदर्भों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने इन टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आंतरिक मामला है और इस पर किसी भी बाहरी पक्ष का कुछ कहने का अधिकार नहीं बनता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को नियमित पत्रकार वार्ता में कहा...'भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान तुर्किये के राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भों को खारिज करता है। यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से संबंधित मामला है और इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। 'वहीं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद तीनों देशों ने एक बयान जारी किया है। यह एक संयुक्त बयान है जिसमें तीनों देशों के सामूहिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। इसमें कई आर्थिक, विकासात्मक और कुछ राजनीतिक मुद्दों को उठाया गया है। जहां तक फिलिस्तीन पर भारत के अपने रुख का सवाल है, हम दो-राज्य समाधान के पक्षधर हैं, जिसके बारे में आप भली-भांति जानते हैं।

कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही : स्मृति इरानी

नई दिल्ली,29 सितम्बर 2026। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेतृत्व की ओर से की गई प्रेस वार्ता पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को तीखा पलटवार किया। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाना अब संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की बात कह चुके हैं,लेकिन अब कांग्रेस का हमला संवैधानिक संस्थाओं और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार यह कहते रहे हैं कि राजनीतिक रूप से उन पर हमला किया जाए,लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद,उनके अनुसार,कांग्रेस नेतृत्व संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहा। भाजपा महामंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाली संवैधानिक संस्था है और भारतीय लोकतंत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जनता का समर्थन नहीं मिलने के कारण वह अपनी चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है।

मप्र कैबिनेट का युवाओं के हित में बड़ा फैसला,अग्निवीरों को पांच विभागों की भर्ती में मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण

भोपाल,29 सितम्बर 2026। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए लगभग 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही युवाओं के सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने पांच विभागों-पुलिस आरक्षक,विशेष सशस्त्र बल,जेल प्रहरी,वन रक्षक और आबकारी आरक्षक जैसी वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया। एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की युवाओं को सशक्त बनाने की मंशा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। निर्णय अनुसार, अब गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती में होमगार्ड को 10,भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

कैंसर दवाओं की ऊंची कीमत नरसंहार जैसी : सुप्रीम कोर्ट

2700 की दवा पर कीमत 27 हजार कैसे लिखी,हर साल 5381 करोड़ का दवा कारोबार

नई दिल्ली,29 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि दवाओं की एमआरपी, रिटेल कीमत से 16% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए। कोर्ट ने सवाल किया कि सभी दवाओं पर अधिकतम 16% मार्जिन की सीमा क्यों नहीं तय की जा सकती। दवाओं के लिए अलग-अलग नियम क्यों हैं। कोर्ट ने कैंसर की एक दवा का उदाहरण दिया,जिसकी रिटेल कीमत करीब 2,700 थी,लेकिन एमआरपी 27 हजार थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मंगलवार को दवाओं की कीमत और जेनेरिक दवाओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। कोर्ट ने कहा- यह नरसंहार है। यह कैसे हो रहा है? कॉर्पोरेट किसी को नहीं बख्शते,शव भी बाहर नहीं जाने देते। कोर्ट ने पूछा कि यदि

मरीज सरकारी योजना में इलाज करा रहा है तो इतनी बढ़ी कीमत का भुगतान कौन करता है। इसका बोझ सरकारी खजाने और टैक्सपेयर्स पर ही पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। वे मरीजों को अपनी फार्मेसी से ही दवा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। कोर्ट ने अस्पतालों के मुनाफे और दवाओं की कीमत तय करने के लिए एक समान नियम की जरूरत पर भी सवाल उठाया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दवाओं की कीमत, जेनेरिक दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डिवाइस के कंट्रोल से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 गुना मुनाफे पर सवाल उठाए...

कोर्ट ने दवाओं पर 10 गुना या उससे ज्यादा मुनाफे के आरोप और डीपीसीओ, 2013 के तहत जरूरी व गैर-जरूरी दवाओं के अलग-अलग नियमों पर भी सवाल किए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि यह गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ऐसा समाधान जरूरी है, जिसमें मरीजों, सरकार और फार्मा कंपनियों सभी के हितों का संतुलन रहे।

याचिकाकर्ता बोले...इलाज के लिए गहने-संपत्ति बेचने को मजबूर

याचिकाओं में दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर से मरीजों और सरकारी योजनाओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जिन दवाओं की कीमत सरकार तय करती है, उनका बाजार में हिस्सा कम है। वहीं, जिनकी कीमत सरकार की तरफ से तय नहीं की गई है,उनका बाजार में करीब 80% या उससे ज्यादा हिस्सा है। उनकी शुरुआती एमआरपी तय करने में कंपनियों को ज्यादा छूट मिलती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे दवाओं की कीमत और मरीजों के इलाज का खर्च बढ़ सकता है। कई मरीज इलाज के लिए अपनी संपत्ति या गहने तक बेचने को मजबूर होते हैं।

जम्मू-कश्मीर : कठुआ में सीआईएसएफ जवान ने सहकर्मियों को मारी गोली,कंपनी कमांडर समेत 4 की मौत

कठुआ,29 सितम्बर 2026। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे कठुआ जिले के हट्ट माश्का गांव में सेवा-2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह ने छुट्टी के विवाद में मंगलवार शाम करीब 7:00 बजे कैंप में फायरिंग शुरू कर दी। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा के अनुसार गोली लगने से असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडेय, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रफीक अहमद और कांस्टेबल संदीप कुमार की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी अवधेश सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि लंबे समय से छुट्टी के लिए आवेदन कर रहा था। लेकिन किसी न किसी कारण से छुट्टी रद

कर दी जा रही थी। मंगलवार को भी छुट्टी को लेकर ही विवाद शुरू हुआ। गुस्से में आकर उसने शाम 7:00 बजे सर्विस राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

गोली लगने से असिस्टेंट कमांडेंट एवं कंपनी कमांडर अंकित कुमार पांडेय, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रफीक अहमद और कांस्टेबल संदीप घायल हो गए। गंभीर हालत में सभी को हिमाचल के चंबा जिला स्थित राष्ट्रीय जलविद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। सभी के शवों को हट्ट माश्का से सटे हिमाचल के एनएचपीसी की दूसरी परियोजना के खैरी अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया है।

अवधेश के पास थीं 150 राउंड गोलियां

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सूत्रों व पुलिस के अनुसार आरोपी हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह ने एके-47 राइफल से फायरिंग की है। उसके पास 150 राउंड गोलियां थीं। गुस्से में आकर उसने अंधाधुंध फायरिंग की। इस बीच सामने जो आया उसे निशाना बनाया। विवाद की शुरुआत असिस्टेंट कमांडेंट एवं कंपनी कमांडर अंकित कुमार पांडेय से हुई थी। सूत्रों के अनुसार अवधेश सिंह 2009 में सीआईएसएफ में भर्ती हुआ था।

अरुणाचल प्रदेश : भारत-म्यांमार सीमा के पास असम राइफल्स की टीम पर उग्रवादियों का हमला,2 जवान की मौत,चार घायल

चांगलांग (अरुणाचल), 29 सितम्बर 2026। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास मंगलवार सुबह असम राइफल्स की गश्ती टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया। हमले में एक जवान की मौत हो गई, जबकि चार अन्य जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी और अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे नामपोंग नाला के पास हुई। यहां 21 असम राइफल्स के जवान उस इलाके में गश्त कर रहे थे, जहां भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है। इसी दौरान संदिग्ध उग्रवादियों ने गश्ती दल पर अचानक गोलीबारी

कर दी। हमले में 42 वर्षीय हवलदार जांखोकाई कूकी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। चार अन्य जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। उनकी स्थिति के बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमले में NSCN (K-YA) से जुड़े उग्रवादियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।

बहुराष्ट्रीय 'तरंग शक्ति' युद्धभ्यास में दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स ने ताकत दिखाई

जोधपुर,29 सितम्बर 2026। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में चल रहे 'तरंग शक्ति' युद्धाभ्यास में भारत के स्वदेशी विमान तेजस और दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट एफ-35ए ने एक साथ उड़ान भरी। एफ-35ए भारत में पहली बार युद्धाभ्यास में शामिल हो रहे हैं। छह फाइटर जेट जापान में स्थित अमेरिका के एयर बेस से जोधपुर आए हैं। भारतीय वायु सेना के एक वीडियो में दोनों विमान एक साथ उड़ते हुए दिख रहे हैं। जोधपुर में चल रहे वायु सेना के 'तरंग शक्ति-2026' युद्धाभ्यास में दुनिया के 7 बड़े देश हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी वायु सेना के एफ-35ए लाइटनिंग द्वितीय विमान पहली बार 'तरंग शक्ति' अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। स्टील्थ तकनीक, अत्याधुनिक सेंसर और सूचना साझा करने की क्षमताओं से लैस एफ-35 विमान भारतीय वायु सेना और अन्य सहयोगी देशों के साथ प्रशिक्षण के नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इससे आपसी समन्वय

और संयुक्त तैयारी को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश हिस्सा ले रहे हैं, यानी भारत समेत कुल आठ देशों की वायु सेनाएं सीधे तौर पर भाग ले रही हैं। इसके अतिरिक्त 32 से ज्यादा देश इस सैन्य आयोजन में प्रेक्षक (ऑब्जर्वर) के रूप में शामिल हुए हैं। जोधपुर के आसमान में बहुराष्ट्रीय हवाई शक्ति का एक अद्भुत और शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां भाग ले रहे विभिन्न देशों के लड़ाकू विमानों ने बेहतर रणनीतिक अभियानों के लिए उड़ान भरी।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का चुनाव आयोग को पत्र,ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर में बदलावों की मांग

मुंबई,29 सितम्बर 2026। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर में कई बदलाव करने की मांग की है। 24 सितंबर को भेजे गए पत्र में उन्होंने विशेष रूप से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को उन मामलों में अधिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता देने का आग्रह किया है, जिनमें सॉफ्टवेयर द्वारा मतदाता की जानकारी में 'तार्किक विसंगति' चिन्हित की जाती है। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के नोटिस चरण के दौरान यह मांग सामने आई है। 31 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में राज्य के मतदाताओं की संख्या में 21.1 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई थी। अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जानी है। चोकलिंगम ने पत्र में चार प्रमुख बदलावों की मांग की है। इनमें निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को तार्किक विसंगति वाले मामलों में सुनवाई की आवश्यकता तय करने, संतोषजनक दस्तावेज मिलने पर स्वयं मामले का निपटारा करने और उपयुक्त दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधिक विकल्प देने की मांग शामिल है। उन्होंने यह भी

कहा कि यदि कोई मतदाता वैध और संतोषजनक दस्तावेज जमा कर देता है, तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी उसे व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होने से छूट देने में सक्षम होना चाहिए। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य संवेदनशील वर्गों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दस्तावेजों के संबंध में भी अधिक लचीलापन देने की मांग की है। उनके अनुसार, नोटिस के साथ दिए गए दस्तावेजों की सूची संकेतात्मक है और अंतिम नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए अन्य समकक्ष दस्तावेज जमा करने का विकल्प होना चाहिए, जिनके पास सूची में शामिल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। सॉफ्टवेयर द्वारा चिन्हित 'तार्किक विसंगति' का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति मतदाता नहीं है। यह मुख्य रूप से वर्तमान मतदाता विवरण और पिछली मतदाता सूची के बीच किसी जानकारी के मेल नहीं खाने का संकेत है। मसलन, माता-पिता या दादा-दादी के नाम में अंतर,उम्र से संबंधित असंगति या पिछली सूची से संबंधित जानकारी का ठीक से मिलान न होना ऐसी विसंगति के रूप में चिन्हित हो सकता है।

चोकलिंगम ने ऐसे मामलों में स्थानीय निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेने की पर्याप्त स्वतंत्रता देने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि हर मामले में पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण सूची का अंश अनिवार्य रूप से अपलोड करने की व्यवस्था को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मांगें उन चिंताओं से भी मेल खाती हैं, जिन्हें निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पहले दर्ज कराया था। संधू ने 14 अगस्त को सॉफ्टवेयर के नियंत्रण को महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) स्तर पर अत्यधिक केंद्रीकृत किए जाने पर सवाल उठाया था।

संपादकीय

कोचिंग पर निर्भरता

शिक्षा मंत्रालय नीट,जेईई और ऐसी ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग पर निर्भरता घटाने के लिए जो पहल करने जा रहा है, उसमें सफलता तब मिलेगी,जब स्कूली स्तर पर और विशेष रूप से 11वीं एवं 12वीं की कक्षाओं में पठन-पाठन का स्तर उन्नत होगा। यह निजी के साथ सरकारी स्कूलों में भी उन्नत होना चाहिए। और भी अच्छा होगा कि आठवीं के बाद ही जब छात्र विज्ञान एवं गणित विषयों का चयन करते हैं,तभी से उनके पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों का स्तर ऐसा किया जाए, जिससे वे आगे चलकर नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में कोचिंग का सहारा लेने के लिए विवश न हों।

एक समय था,जब इंटरमीडिएट के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी,लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां बदलीं और फिर कोचिंग के चलन ने एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया। इसका कारण हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के पठन-पाठन के स्तर में कमी के साथ यह भी रहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर कठिन होता गया। समझना कठिन है कि जिस स्तर के प्रश्न उक्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसी स्तर के प्रश्न 11वीं और 12वीं परीक्षाओं में क्यों नहीं शामिल किए जा सकते?

आखिर जब पाठ्यक्रम एक है तो स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर अलग-अलग क्यों? निःसंदेह यह अंतर इसलिए आया, क्योंकि शिक्षा बोर्डों का उद्देश्य अधिक से अधिक छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में सफल बनाना होता है और वह भी अच्छे नंबरों से। यह किसी से छिपा नहीं कि आजकल कुछ शिक्षा बोर्डों की परीक्षाओं में 90 प्रतिशत अंक लाना बहुत आम हो गया है। शिक्षा बोर्डों और साथ ही विद्यालयों का उद्देश्य छात्रों को केवल स्कूली परीक्षाओं में पास होने लायक ही नहीं,बल्कि मेडिकल,इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना भी होना चाहिए।

यह अच्छा हुआ कि शिक्षा मंत्रालय ने यह समझा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को तैयार करने में एनसीईआरटी के साथ दूसरे शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम को भी आधार बनाने की आवश्यकता है,लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति तब होगी, जब केंद्रीय और राज्यों के शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में साम्य होगा। शिक्षा मंत्रालय को यह भी समझना होगा कि केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को ही कोचिंग संस्कृति से बचाने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यकता अन्य परीक्षाएं देने वाले छात्रों के संदर्भ में भी है। इसी के साथ उसे ट्यूशन संस्कृति पर भी विराम लगाने पर विचार करना चाहिए।

हर निःस्वार्थ कर्म अहंकार और भय को दूर करता है, और मन में शांति स्थापित करता है।

-स्वामी विवेकानंद

एआई से जुड़े महाविनाश के खतरे: नियंत्रित कमान जरूरी

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज मानव सभ्यता की सबसे प्रभावशाली तकनीकी उपलब्धियों में शामिल है। चिकित्सा,शिक्षा,अंतरिक्ष,विज्ञान,कृषि, उद्योग और प्रशासन से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक इसके उपयोग ने विकास की गति को अभूतपूर्व बनाया है। लेकिन जितनी तेजी से एआई की क्षमताएं बढ़ रही हैं,उतनी ही गंभीरता से उसके दुरुपयोग और नियंत्रण से बाहर जाने के जोखिमों पर भी विचार करना होगा। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल ने भी चेताया है कि एआई की क्षमताओं की गति के मुकाबले उसके सुरक्षित उपयोग के नियम पीछे छूट रहे हैं और अधिक स्वायत्त एआई एजेंटों के साथ मानव नियंत्रण बनाए रखना एक वास्तविक चुनौती बन रहा है। इसी संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स की हालिया चेतावनी विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा है कि एआई गलत हाथों में पड़ने पर अत्यंत व्यापक जनहानि का माध्यम बन सकता है और सरकारों को इसके लिए प्रभावी नियमन की दिशा में काम करना चाहिए। गेट्स की चिंता केवल भविष्य की किसी काल्पनिक आशंका पर आधारित नहीं है, एआई के दुरुपयोग के कुछ ठोस उदाहरण सामने आने लगे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव एआई एजेंट्स के रूप में दिखाई दे रहा है। पारंपरिक एआई मुख्यतः प्रश्नों के उत्तर देता था,लेकिन एजेंट इंटरनेट पर जा सकता है,वेबसाइट खोल सकता है, कोड लिख सकता है,सूचनाएं खोज सकता है और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए अनेक चरणों में स्वयं कार्रवाई कर सकता है। यही क्षमता उपयोगी होने के साथ जोखिमपूर्ण भी है। सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक पैनल ने ओपेनएआई से संबंधित एक घटना का उल्लेख किया,जिसमें परीक्षण के दौरान एआई एजेंट्स ने नेटवर्क प्रतिबंधों को पार किया,अलग-अलग प्रक्रियाओं के बीच संपर्क किया और ओपेनएआई तथा हुगिंग फेस की प्रणालियों के कुछ हिस्सों से समझौता किया। स्वतंत्र संस्था एमईटीआर की जांच के अनुसार इस घटना में लगभग 1,200 एजेंट्स ने 70,000 से अधिक संदेश और फाइलें साझा कीं तथा लगभग 700 एजेंट्स हुगिंग फेस पर हुए हमले में शामिल हुए। यहां सावधानी जरूरी है। इन घटनाओं को यह प्रमाण मान लेना कि एआई निश्चित रूप से मानव नियंत्रण से बाहर हो गया है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। ये नियंत्रित परीक्षण और सुरक्षा-मूल्यांकन के दौरान सामने आई घटनाएं थीं। लेकिन इनका महत्व इस बात में है कि अधिक सक्षम एजेंट जब जटिल लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वे उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी कल्पना उनके निर्माताओं ने नहीं की थी। स्वयं ओपेनएआई ने भी एजेंट्स के इंटरनेट उपयोग, बाहरी सामग्री से होने वाले 'प्रॉम्प्ट इंजेक्शन' और डेटा चोरी जैसे जोखिमों को लेकर सुरक्षा उपायों की जरूरत स्वीकार की है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

एआई के सैन्य दुरुपयोग की आशंका भी अब केवल सैद्धांतिक नहीं रह गई है। सितंबर 2026 में एंथ्रोपिक ने बताया कि यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उसके क्लाउड एआई का इस्तेमाल निर्देशित रॉकेट और मिसाइलों के मार्गदर्शन, नियंत्रण और नेविगेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रयास में किया। कंपनी के अनुसार सुरक्षा उपायों ने अनेक अनुरोधों को रोका,लेकिन उपयोगकर्ताओं ने अपनी मंशा छिपाकर और काम को अलग-अलग सत्रों में बांटकर कुछ सुरक्षा अवरोधों को पार करने की कोशिश की। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार हथियार-विकास का प्रयास सफल नहीं हुआ, हालांकि एक निर्देशित रॉकेट का परीक्षण विफल हुआ और उसके बाद एआई से उसकी समस्या समझने का प्रयास किया गया। यही वह बिंदु है जहां एआई और पारंपरिक हथियारों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। एआई स्वयं कोई मिसाइल या बम नहीं है, लेकिन वह ज्ञान,डिजाइन,कोडिंग, विश्लेषण और निर्णय-प्रक्रिया को बहुत तेज कर सकता है। किसी गैर-राज्य संगठन,अपराधी समूह या आतंकवादी संगठन को यदि अत्यंत सक्षम एआई तक पहुंच मिल जाए,तो वह ऐसे तकनीकी कार्यों को अपेक्षाकृत कम समय और कम विशेषज्ञ मानव संसाधन में करने का प्रयास कर सकता है,जिनके लिए पहले बड़ी तकनीकी टीम की आवश्यकता होती थी। इसलिए एआई की सुरक्षा को केवल सॉफ्टवेयर उद्योग का विषय समझना पर्याप्त नहीं है,यह राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का भी विषय बन चुका है। खतरा केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। साइबर अपराध,बैंकिंग धोखाधड़ी, पहचान की चोरी,फर्जी आवाज और वीडियो,सामाजिक अभियांत्रिकी तथा बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलाने में एआई का इस्तेमाल संभव है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन में भी साइबर हमलों, वित्तीय धोखाधड़ी,सोशल इंजीनियरिंग और डीपफेक को एआई से जुड़े प्रमुख जोखिमों में गिना गया है। आज यदि किसी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल करके उसके परिजन से पैसे मांगे जा सकते हैं,किसी अधिकारी या संस्था का नकली वीडियो बनाया जा सकता है अथवा बड़े पैमाने पर स्वचालित साइबर हमले किए जा सकते हैं,तो डिजिटल समाज में विश्वास की बुनियाद ही प्रभावित हो सकती है।

भारत के लिए यह चिंता और अधिक महत्वपूर्ण है। करोड़ों भारतीय बैंकिंग, डिजिटल भुगतान,सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और व्यापार के लिए डिजिटल प्रणालियों पर निर्भर हैं। इसलिए एआई-आधारित साइबर हमले का प्रभाव किसी एक कंप्यूटर या संस्था तक सीमित नहीं रह सकता। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी साइबर सुरक्षा को उभरती एआई,मशीन लर्निंग और अन्य तकनीकों के साथ जुड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया है तथा सीईआरटी-इन जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है। भारत को एआई के विकास में पीछे नहीं हटना चाहिए,लेकिन उसके साथ साइबर सुरक्षा,डेटा संरक्षण,महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को समान गति से मजबूत करना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती वैश्विक शक्ति-संतुलन की है। एआई पर नियंत्रण यदि कुछ देशों या कुछ बड़ी निजी कंपनियों तक सीमित हो गया, तो तकनीकी क्षमता आर्थिक और सामरिक शक्ति का नया आधार बन सकती है। अमेरिका और चीन जैसे बड़े तकनीकी एवं सैन्य शक्तियों के बीच एआई प्रतिस्पर्धा पहले ही वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। इसलिए एआई का प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन सबसे शक्तिशाली मॉडल बनाएगा, प्रश्न यह भी है कि इन मॉडलों की सीमाएं कौन तय करेगा,उनके परीक्षण की स्वतंत्र व्यवस्था कौन करेगा और किसी गंभीर जोखिम की स्थिति में किसके पास हस्तक्षेप करने की वैध शक्ति होगी।

इसीलिए केवल कंपनियों के स्वैच्छिक आत्म-नियमन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं लगता। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एआई के विकास को रोक देना समाधान नहीं है। यही तकनीक कैंसर अनुसंधान, नई दवाओं,वैज्ञानिक खोजों,शिक्षा,आपदा प्रबंधन और उत्पादकता में बड़ी भूमिका निभा सकती है। स्वयं संयुक्त राष्ट्र एआई को मानव विकास के लिए असाधारण संभावनाओं वाली तकनीक मानता है,साथ ही मजबूत सुरक्षा-व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए दुनिया को 'एआई बंद करो' नहीं,बल्कि 'एआई को जिम्मेदारी के साथ विकसित करो' का रास्ता अपनाना होगा। वैश्विक स्तर पर न्यूनतम सुरक्षा मानक,स्वतंत्र परीक्षण, उच्च जोखिम वाले एआई सिस्टम के लिए अनिवार्य निगरानी,महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मानव की अंतिम स्वीकृति,साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल,दुरुपयोग की रिपोर्टिंग और देशों के बीच सूचना-साझेदारी जैसी व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भी जुलाई 2026 में एआई के लिए व्यापक वैश्विक नियंत्रण और सुरक्षा-केंद्रित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया था।

मानव इतिहास में विज्ञान ने मनुष्य की शक्ति बढ़ाई है,लेकिन हर बढ़ती शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी है। परमाणु युग ने दुनिया को यह सिखाया कि अत्यधिक शक्तिशाली तकनीक को केवल उसके निर्माताओं की सदिच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। एआई की चुनौती कुछ मायनों में अलग है-यह डिजिटल,तीव्र,व्यापक और सीमाओं के पार काम करने वाली तकनीक है। इसलिए इसकी सुरक्षा-व्यवस्था भी वैश्विक होनी चाहिए। आज आवश्यकता एआई की गति को अंधाधुंध रोकने की नहीं, बल्कि उसकी दिशा पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखने की है। मशीन कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए, अंतिम निर्णय का नैतिक दायित्व मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। एआई मानवता का सेवक बने, उसका स्वामी नहीं,विकास का साधन बने,विनाश का हथियार नहीं-यही इस तकनीकी युग की सबसे बड़ी कसौटी है। बिल गेट्स की चेतावनी को भय फैलाने के बजाय समय रहते सावधान करने वाली घंटी के रूप में देखना चाहिए। यदि दुनिया अभी से साझा सुरक्षा मानकों और प्रभावी वैश्विक निगरानी की दिशा में आगे बढ़ती है,तो एआई की अपार शक्ति मानव कल्याण की ऊर्जा बन सकती है,लेकिन यदि सुरक्षा की चिंता को विकास की दौड़ में लगातार पीछे धकेला गया, तो यही शक्ति ऐसी समस्याएं पैदा कर सकती है जिनका समाधान बाद में करना कहीं अधिक कठिन होगा।

विज्ञापन बंद हों,नशे के जाल से बचें युवा

युवाओं में नशे की रोकथाम के लिए सेलिब्रिटी और सार्वजनिक व्यक्तित्वों का नैतिक दायित्व

डॉ.प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

सेलिब्रिटी और सार्वजनिक व्यक्तित्व समाज में एक विशेष प्रभाव रखते हैं। उनके शब्दों,व्यवहार और जीवनशैली को मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से लोगों तक पहुँचाया जाता है, जिससे वे विशेष कर युवाओं के लिए प्रभावशाली आदर्श बन जाते हैं। यह लोकप्रियता केवल अवसर ही नहीं देती, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी पैदा करती है। नशे की लत आज स्वास्थ्य,शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए गंभीर चुनौती है। सामाजिक प्रभाव का अर्थ दूसरों के विचारों, दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता से है। फिल्म कलाकारों, खिलाड़ियों,सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स,अधिकारियों और अन्य सार्वजनिक व्यक्तित्वों का प्रभाव मनोरंजन या प्रशासन तक सीमित नहीं रहता,बल्कि तब नैतिक जिम्मेदारी का रूप ले लेता है,जब वह नशीले पदार्थों के सेवन जैसे जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर असर डालता है। जब सार्वजनिक व्यक्तित्व गीतों, फिल्मों,सोशल मीडिया पोस्ट या व्यक्तिगत आचरण के माध्यम से नशे को सामान्य या आकर्षक रूप में प्रस्तुत करते हैं,तो इससे युवाओं में यह संदेश जा सकता है कि नशा स्वीकार्य,आधुनिक या सफलता का आसान रास्ता है। इसके विपरीत,जब वे नशामुक्त जीवनशैली को अपनाते हैं, नशे के खिलाफ बोलते हैं और पुनर्वास का समर्थन करते हैं,तो वे नशे को मना करना सामाजिक रूप से सम्मानजनक विकल्प बनाने में मदद कर सकते हैं। युवा अक्सर उन्हीं लोगों का अनुकरण करते हैं,जिन्हें वे अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो फिटनेस, अनुशासन और नशामुक्त जीवनशैली पर जोर देते हैं,वे युवाओं के सामने तत्काल आनंद और नशे की संस्कृति का एक सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जब खिलाड़ी,फिटनेस इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी खुले तौर पर नशे को अस्वीकार करते हैं, तो स्वस्थ जीवनशैली युवाओं के लिए आकर्षक बनती है। नशामुक्ति से जुड़े विभिन्न अभियानों में फिल्म कलाकारों और खेल जगत की हस्तियों की भागीदारी ने युवाओं को स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन चुनने का संदेश दिया है। ऐसे संदेश

इसलिए प्रभावशाली हो सकते हैं क्योंकि वे उन व्यक्तियों की ओर से आते हैं, जिन्हें युवा पहले से पसंद और सम्मान करते हैं। सेलिब्रिटी इस धारणा को भी चुनौती दे सकते हैं कि हर कोई नशा करता है या नशा केवल युवावस्था का सामान्य अनुभव है। नशामुक्त भारत अभियान जैसे प्रयासों से जुड़कर सार्वजनिक व्यक्तित्व नशे को जीवन शैली के बजाय एक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में देखने की समझ विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। कई सार्वजनिक अभियानों में परिवार के भीतर खुलकर बातचीत करने और नशे से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाने पर भी जोर दिया गया है।

साथियों का दबाव अक्सर युवाओं को नशे के प्रयोग की ओर धकेलता है। जब लोकप्रिय व्यक्तित्व अपने मंचों के माध्यम से नशामुक्त जीवन को प्रोत्साहित करते हैं,तो वे सामाजिक सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दे सकते हैं। सोशल मीडिया अभियान,डिजिटल शपथ, जागरूकता कार्यक्रम और युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों को सेलिब्रिटी समर्थन मिलने से नशामुक्ति एक सामूहिक सामाजिक संदेश बन सकती है। प्रभावशाली नेतृत्व के साथ संचालित योजनाबद्ध अभियानों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा जा सकता है। नशे की समस्या अक्सर चुप्पी और शर्म के कारण और गंभीर हो जाती है। सार्वजनिक व्यक्तित्व जब अपने या दूसरों के नशामुक्ति के अनुभवों के बारे में खुलकर बात करते हैं, तो वे नशे की समस्या से जूझ रहे लोगों को केवल दोषी या अपराधी मानने के बजाय सहायता और उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में देखने की सोच विकसित कर सकते हैं। इससे सामाजिक कलंक कम हो सकता है और परिवार प्रभावित व्यक्ति को समय रहते उपचार दिलाने के लिए आगे आ सकते हैं। रैलियों,सांस्कृतिक कार्यक्रमों,विशेषज्ञों की चर्चाओं और जागरूकता अभियानों को एक साथ जोड़ने वाले प्रयास नशे की रोकथाम और पुनर्वास को सामुदायिक जिम्मेदारी बनाने में मदद कर सकते हैं।

हालाँकि केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है;उसे ठोस और निरंतर कार्रवाई में बदलना भी आवश्यक है। प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नेतृत्व सेलिब्रिटी प्रभाव का उपयोग दीर्घकालिक नशामुक्ति अभियानों के निर्माण में कर सकते हैं। प्रभावी अभियानों में जागरूकता के साथ कानून का पालन,उपचार,पुनर्वास और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को भी शामिल किया जाना चाहिए। खेल,संस्कृति और विद्यालयों से जुड़ी गतिविधियाँ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सकारात्मक विकल्प उपलब्ध करा सकती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नैतिक नेतृत्व केवल एक-दो भाषणों तक सीमित नहीं होना चाहिए,बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें युवाओं को शिक्षा,खेल,मनोरंजन, परामर्श और सकारात्मक मित्र समूहों के माध्यम से बेहतर विकल्प मिल सकें। प्रशासनिक अधिकारी राज्य के प्रतिनिधि होने के कारण व्यापक सामाजिक प्रभाव रखते हैं। जब वे विद्यार्थियों और समुदायों को नशे के खिलाफ एक साझा उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो यह संदेश मजबूत होता है कि युवाओं को नशे से बचाना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, शिक्षक और सेलिब्रिटी मिलकर काम करते हैं, तो संदेश को भावनात्मक प्रभाव के साथ संस्थागत समर्थन भी मिलता है।

फटी हुई हरी दरी

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

गाँव के प्राथमिक विद्यालय के सीलन भरे बरामदे के ठीक बीचोंबीच सूती धागों से बनी वह फटी हुई पुरानी हरी दरी बिछी रहती थी जिसके किनारे वक्त की मार से पूरी तरह उधड़ चुके थे और बीच में कई जगह टाट के पैबंद लगे हुए थे। उस फटी हरी दरी के एक कोने पर हर सुबह सात बजते ही राधे काका अपनी लकड़ी की लाठी टेककर आकर बैठ जाते थे। सफेद खद्दर का झोला कंधे पर लटकाए और आँखों पर पीतल की कमानी वाला चश्मा चढ़ाए राधे काका का काम बस उस दरी के फटे हुए धागों को अपने कांपते हाथों से सहलाना और सामने टूटे ब्लैकबोर्ड को एकटक निहारते रहना था। सुबह आठ बजते ही गाँव के नंगे पाँव बच्चे अपनी फटी कॉपियाँ दबाए आते और उसी हरी दरी पर बैठ जाते। जब भी कोई नया शिक्षक या तहसील का क्लर्क निरीक्षण के लिए अपनी मोटरसाइकिल से वहाँ उतरता तो वह इस बुजुर्ग को उस फटी दरी के कोने पर पहरा देते देखकर सोच में पड़ जाता था। स्कूल का पुराना रसोइया मंगलू जब मिड डे मील की खिचड़ी का भगोना बरामदे में रखता तो राधे काका उससे बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में पूछते क्यों रे मंगलू आज इस डिजिटल उत्सव में इस फटी हरी दरी के बदले कोई नया टाट आने का हुक्म हुआ क्या या आज भी सिर्फ मंच पर भाषणों की रोटी से ही पेट भरा जाएगा? मंगलू बस अपनी नजरें झुका लेता और एक ठंडी गहरी साँस भरकर चुपचाप बर्तनों को माँजने में लग जाता था।

स्कूल में हाल ही में राजधानी के बड़े शिक्षा निदेशालय से नए खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर आए साहब मनीष त्रिपाठी बहुत ही कड़क,अंग्रेजीदां और आधुनिक तकनीकी शिक्षा के पक्के समर्थक माने जाते थे। मनीष साहब जब भी अपनी चमकती हुई गाड़ी से उतरकर स्कूल के गलियारे में कदम रखते तो उनकी नजर सबसे पहले उसी फटी हरी दरी के कोने पर बैठे राधे काका पर जाकर अटक जाती थी जिनकी उँगलियाँ हमेशा दरी के उस सबसे बड़े छेद को ढंकने की कोशिश करती रहती थीं। मनीष साहब को आधुनिक टेबलेट और स्मार्ट क्लास के इस नए जमाने में किसी बुजुर्ग का इस तरह रोज आकर एक फटी हुई दरी के आगे हाथ जोड़ना शिक्षा के माहौल में खलल डालने जैसा लगता था। जब दोपहर के समय डिजिटल साक्षरता मिशन का पहला सत्र समाप्त हुआ और बड़े अधिकारी वीआईपी कक्ष में भोजन के लिए चले गए तो मनीष साहब अपने सुरक्षाकर्मियों को वहीं छोड़कर सीधे राधे काका के पास पहुँच गए। मनीष साहब ने अपनी रौबदार आवाज में बहुत ही तल्ख लहजे में पूछा काका आप इस उम्र में रोज यहाँ आकर स्कूल का अनुशासन क्यों बिगाड़ रहे हैं,अगर आपके पोते का दाखिला कराना है तो भीतर जाकर प्रधानाध्यापक से मिलिए, इस तरह रोज बाहर बैठकर इस फटी पुरानी हरी दरी को सहलाने से आपके गाँव के बच्चे कलेक्टर नहीं बन जाएंगे। राधे काका ने बहुत ही शालीनता से अपने दोनों हाथ जोड़े और कांपती आवाज में बोले साहब मैं किसी दाखिले या मुफ़्त की वर्दी के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ,मैं तो बस उस दिन की बाट जोह रहा हूँ जब इस फटी दरी का वह खोया हुआ अक्षर लौटेगा जो किसी जमाने में इसी चौखट पर मुझसे छीना गया था। मनीष साहब को काका का यह जवाब किसी दार्शनिक पहेली जैसा लगा और उन्होंने अचरज से पूछा काका आप किस खोए हुए अक्षर की बात कर रहे हैं,सरकार तो हर साल इस सप्ताह में करोड़ों का बजट जारी करके बच्चों को डिजिटल स्क्रीन और आधुनिक बैग बाँटती है, फिर आपकी इस पुरानी फटी दरी का क्या रहस्य है? पास खड़े वयोवृद्ध रिटायर्ड शिक्षक पंडित रामनरेश जी जो पिछले चालीस सालों से उस गाँव की एक-एक पीढ़ी के गवाह रहे थे, वे तुरंत आगे बढ़े और बोले अफसर साहब काका की बात को पागलपन मत समझिए, जब तीस साल पहले इस गाँव में पहली बार यह प्राथमिक स्कूल खुला था तब काका के इकलौते बेटे प्रभात ने इसी फटी हरी दरी पर बैठकर अपनी ककहरा की पहली पट्टी लिखी थी। मनीष साहब ने उत्सुक होकर पूछा प्रभात ने ऐसा क्या किया था जिसका नाता आज तक इस फटी दरी के धागों से जुड़ा हुआ है? पंडित रामनरेश ने एक लंबी साँस भरकर बताना शुरू किया साहब प्रभात उस समय पूरे जिले का सबसे कुशाग्र और आदर्शवादी छात्र था, उसने उस समय के भ्रष्ट प्रधान और ठेकेदारों के खिलाफ लड़कर अपनी मेहनत से यह स्कूल बनवाया था,उसने अपने हाथों से सूत कातकर बच्चों के बैठने के लिए यह हरी दरी बुनी थी और कसम खाई थी कि जब तक इस गाँव का अंतिम गरीब बच्चा इस दरी पर बैठकर अपनी तकदीर नहीं बदल लेगा तब तक वह किसी बड़े शहर के ऐशो-आराम के आगे घुटने नहीं टेकेगा।

डिजिटल इंडिया के दरवाजे पर रिश्वत की पुरानी दस्तक

प्रो. आरके जैन अरिजीत बड़वानी,मध्यप्रदेश

कागज कंप्यूटर में पहुंच गया,व्यवस्था वहीं की वहीं है। जिस देश में सरकार मोबाइल पर सेवाएं देने का दावा करती है,वहां मृत परिजन की संपत्ति अपने नाम कराने के दौरान 58 प्रतिशत परिवारों को रिश्वत देनी पड़ी; इनमें 73 प्रतिशत ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन/भूमि कार्यालय को इसका प्रमुख केंद्र बताया। सवाल इसलिए केवल भ्रष्टाचार का नहीं, डिजिटल शासन की विश्वसनीयता का है। लोकलसर्किल्स का ताजा सर्वेक्षण डिजिटल इंडिया की चमक के पीछे की दरार दिखाता है। चार साल पहले रिश्वत देने वाले परिवारों का आंकड़ा 52 प्रतिशत था। यानी कंप्यूटर,पोर्टल और ऑनलाइन रिकॉर्ड आए,पर रिश्वत घटने के बजाय बढ़ी। डिजिटल सुधार की असली कसौटी स्क्रीन पर दिखता रिकॉर्ड नहीं,नागरिक का बिना घूस अपना अधिकार हासिल करना है।

विडंबना यही है कि सरकार ने कागजों को डिजिटल कर दिया,प्रक्रिया को नहीं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का कंप्यूटरीकरण लगभग पूरा है,सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ऑनलाइन हो रहे हैं और भू-आधार जैसी योजनाओं से भूमि रिकॉर्ड आधुनिक बनाने की कोशिश जारी है। दिल्ली जैसे शहरों में एआई आधारित सत्यापन और ब्लॉकचेन तक की चर्चा है। फिर भी जमीन पर संपत्ति ट्रांसफर के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति,भौतिक दस्तावेज,अंगूठे के निशान और अधिकारी की मंजूरी जैसी बाधाएं कायम हैं। तकनीक ने फाइल को स्क्रीन तक पहुंचा दिया,लेकिन उसे रोकने की ताकत अब भी उसी मेज पर है। डिजिटल व्यवस्था ने सुविधा का आवरण जरूर बदला है, मगर पुराने विवेकाधिकार को खत्म नहीं किया। मृत्यु के बाद संपत्ति अपने नाम कराने की प्रक्रिया परिवार के दुख को प्रशासनिक यातना में बदल देती है। एक ओर अपने व्यक्ति को खोने का आघात, दूसरी ओर प्रमाणपत्र,दस्तावेज, आपत्तियां और दफ्तरों के चक्कर। ऐसे में काम जल्दी चाहिए तो कुछ व्यवस्था करनी होगी जैसा संकेत भी परिवार को समझौते पर मजबूर करता है। सर्वेक्षण में केवल 32 प्रतिशत परिवारों ने बिना बड़ी परेशानी के प्रक्रिया पूरी की; 58 प्रतिशत को कहीं न कहीं रिश्वत देनी पड़ी, जबकि कुछ ने प्रक्रिया शुरू ही नहीं की या वह लंबी खिंचती रही। यह देरी सिर्फ फाइल की नहीं, परिवार की आर्थिक सुरक्षा की भी है। बैंकों में करीब 78 हजार करोड़ और बीमा कंपनियों में लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का दावा न किया गया धन इसी जटिलता और देरी की आर्थिक कीमत दिखाता है। भूमि रिकॉर्ड की कमजोरी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी दरार है। कई राज्यों में कैडस्ट्रल मानचित्रों का

डिजिटलीकरण अधूरा है। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन अलग-अलग चलते हैं–एक जगह रजिस्ट्री हो जाती है, दूसरी जगह नाम दर्ज होने में समय लगता है। पुराने सर्वेक्षण, वास्तविक कब्जे और सरकारी रिकॉर्ड का अंतर विवाद पैदा करता है। जब मूल रिकॉर्ड ही अद्यतन और एकरूप न हो, तो अधिकारी के विवेक की गुंजाइश बढ़ती है और वहीं रिश्वत के रास्ते खुलते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड ने सूचना तो सुलभ की है, लेकिन जवाबदेही की ऐसी मजबूत कड़ी नहीं बनाई,जो नागरिक को तय समय में, बिना अतिरिक्त भुगतान,अपना काम होने का भरोसा दे सके।

पंजीकरण कार्यालय इस भ्रष्ट तंत्र का सबसे बड़ा पड़ाव बनकर सामने आते हैं। सर्वेक्षण में 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन्हीं कार्यालयों को रिश्वत का प्रमुख केंद्र बताया। कुछ परिवारों ने केवल यहीं भुगतान किया, तो कुछ को अदालतों और दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी पैसा देना पड़ा। प्रक्रिया जितनी पेचीदा,दलाल उतना जरूरी। सामान्य नागरिक को न दस्तावेजों की पूरी जानकारी होती है, न आपत्तियों की वैधता और न प्रक्रिया के अगले चरण का स्पष्ट पता। इसी अंधेरे में बिचौलियों का कारोबार फलता है। रिश्वत से इनकार करने वाले परिवारों का काम महीनों,कभी वर्षों तक अटक सकता है। यानी रिश्वत सिर्फ पैसा नहीं वसूलती, नागरिक से उसका समय भी छीनती है।

डिजिटल भारत की असली परीक्षा पोर्टल पर नहीं, उस आखिरी सरकारी मेज पर होती है जहां नागरिक का काम अटकता है। पोर्टल पर आवेदन कर देना पारदर्शिता नहीं,अगर उसे आगे बढ़ाने के लिए नागरिक को फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें। ऑनलाइन रिकॉर्ड भी जवाबदेही नहीं, अगर गलती सुधारने का रास्ता अस्पष्ट हो। एआई और ब्लॉकचेन का नाम भी बेअसर है,अगर अंतिम फैसला ऐसी प्रक्रिया में अटका रहे जिसकी देरी का कारण नागरिक को पता ही न चले। तकनीक तभी भ्रष्टाचार घटाती है,जब वह अनावश्यक मानवीय संपर्क घटाए, नियम स्पष्ट करे और हर कदम की जिम्मेदारी तय करे। वरना भ्रष्टाचार भी तकनीक के साथ अपना चेहरा बदल लेता है। अब सुधार का रास्ता नई तकनीक जोड़ने में नहीं,पुरानी प्रक्रिया की गांठ खोलने में है। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन को एकीकृत कर ऐसा तंत्र बने, जिसमें वैध रजिस्ट्री के बाद भूमि रिकॉर्ड में नामांतरण स्वतः या न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप से हो। भौतिक उपस्थिति अपवाद हो नियम नहीं। हर आवेदन की तय समय-सीमा हो और नागरिक डिजिटल ट्रैकिंग से देख सके कि फाइल कहां अटकी है और जिम्मेदार कौन है।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

नाबालिग के कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो,नपुंसक बनाने की धमकी

वीडियो वायरल करने की भी दी धमकी,परिजन के विरोध के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ मारपीट कर उसके कपड़े उतरवाने,अश्लील हरकत करने और मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीन युवकों ने नाबालिग को नपुंसक बनाने और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। घटना के बाद डरे-सहमे नाबालिग ने एक-दो दिन तक परिजन को कुछ नहीं बताया। शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजन ने पूछताछ की तो उसने पूरी घटना बताई। पुलिस के अनुसार नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 सितंबर की शाम समर रेहान ने वीडियो दिखाने की बात कहकर उसके बेटे को कॉलेज ग्राउंड में बुलाया था। वहां समर के अलावा आदिल खान और रियान्शु महंत पहले से मौजूद थे। तीनों ने नाबालिग के साथ मारपीट की। इसके बाद उसके कपड़े उतरवाकर अश्लील हरकत की और मोबाइल से वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई।

लिंग काटकर नपुंसक बनाने की धमकी

आरोपियों ने नाबालिग को धमकाते हुए उसका लिंग काटकर नपुंसक बनाने की बात कही। साथ ही घटना का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे नाबालिग बुरी तरह डर गया और घटना की जानकारी तत्काल परिजन को नहीं दी।

चोट के निशान देखकर परिजन को हुआ शक

घटना के बाद नाबालिग देर शाम घर पहुंचा और तनाव में रहने लगा। एक-दो दिन बाद परिजन ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे और पूछताछ की। इसके बाद नाबालिग ने पूरी घटना बताई। पिता ने सीतापुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पहले चेकलिस्ट पर छोड़ा विरोध के बाद गिरफ्तारी

पुलिस ने मामले में बीएनएस की धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। आरोप है कि शुरुआत में तीनों आरोपियों को चेकलिस्ट पर छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर परिजन आक्रोशित हो गए और थाना घेराव की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी आदिल खान (19), पिता सलमान खान, समर रेहान (19), पिता तबरेज आलम और रियान्शु महंत (18), पिता अनिल दास महंत, सभी निवासी सीतापुर के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 11 व 12 के तहत कार्रवाई की है। तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

22 हजार की रिश्वत लेते नान अधिकारी गिरफ्तार

एसीबी ने बलरामपुर-रामानुजगंज के जिला प्रबंधक को रंगे हाथों पकड़ा,अंबिकापुर निवासी से काम के एवज में मांगी थी रकम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने मंगलवार दोपहर ?22 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी ने अंबिकापुर निवासी शिवराज सिंह से काम के एवज में रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने नान कार्यालय बलरामपुर में ट्रैप की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक विद्यसागर गोपाल ने अंबिकापुर निवासी शिवराज सिंह से किसी काम के एवज में ?22 हजार की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की मांग से परेशान शिवराज सिंह ने इसकी शिकायत अंबिकापुर स्थित एसीबी कार्यालय में की। शिकायत का सत्यापन कराने के बाद एसीबी ने आरोपी को पकडने के लिए योजना तैयार की।

रकम लेते ही एसीबी ने दबोचा : मंगलवार दोपहर शिवराज सिंह केमिकल लगे ?22 हजार लेकर नान कार्यालय पहुंचा। एसीबी के निर्देश के अनुसार उसने रकम जिला प्रबंधक को दी। जैसे ही जिला प्रबंधक ने रिश्वत की रकम अपने हाथ में ली, कार्यालय के आसपास मौजूद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

एसीबी की टीम ने आरोपी अधिकारी के कब्जे से रिश्वत की रकम जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की। मामले में एसीबी टीआई शरद सिंह ने बताया कि शिकायत का सत्यापन कराने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गांव में विवाद,नशा या जमीन झगड़े की भनक लगे तो तुरंत पुलिस को बताएं

धौरपुर थाने में कोटवार सम्मेलन,साइबर ठगी से बचाने ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गांव में कोई बड़ा विवाद, झगड़ा, जमीन संबंधी मामला, नशे का कारोबार या संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो पुलिस को सूचना देने में देरी न करें। गांव की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए धौरपुर थाना परिसर में ग्राम कोटवारों का सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में पुलिस ने कोटवारों को गांव में होने वाली गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने और ग्रामीणों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य पुलिस और ग्राम कोटवारों के बीच बेहतर समन्वय कायम करना और गांवों में पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत करना था। सरगुजा पुलिस द्वारा थाना स्तर पर नियमित रूप से कोटवार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।

गांव की हर गतिविधि पर नजर रखने की समझाइश : बैठक में थाना प्रभारी ने कोटवारों से उनके-अपने गांव की स्थिति की जानकारी ली। गांव में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों, गुंडा-बदमाशों और निगरानी बदमाशों की मौजूदगी तथा उनकी गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने कोटवारों से कहा कि वे गांव में लगातार संपर्क बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाएं। पुलिस ने विशेष रूप से

बड़े विवाद,मारपीट,दुर्घटना, जमीन विवाद और नशे से संबंधित गतिविधियों की सूचना समय पर देने को कहा। पुलिस का मानना है कि गांव में होने वाली घटनाओं की शुरुआती जानकारी मिलने से विवाद को गंभीर रूप लेने से पहले ही नियंत्रित किया जा सकता है।

साइबर ठगी को लेकर भी गांवों में जागरूकता की जिम्मेदारी : बैठक में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर भी कोटवारों को जानकारी दी गई। पुलिस ने ऑनलाइन ठगी,फर्जी फोन कॉल,बैंकिंग धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों के तरीकों से ग्रामीणों को सतर्क करने कहा। कोटवारों को 'साइबर जागृति अभियान' की जानकारी देते हुए कहा गया कि वे अपने-अपने गांव में लोगों को अनजान फोन कॉल, लिंक और ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सावधानी बरतने के लिए जागरूक करें। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने में कोटवार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गांव में किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील भी की गई।

शराब पीकर बाइक-स्कूटी चलाना पड़ा महंगा,5 चालकों पर 50 हजार का जुर्माना

ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में कोर्ट की कार्रवाई,चार प्रकरण यातायात पुलिस और एक बतौली थाने का

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शराब पीकर बाइक और स्कूटी चलाना पांच वाहन चालकों को महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस और बतौली थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए ड्रंक एंड ड्राइव के पांच मामलों में न्यायालय ने सभी वाहन चालकों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

पांचों मामलों में कुल 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को चेकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांचा था, जिसमें शराब के सेवन की पुष्टि हुई थी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत यातायात पुलिस ने चार और बतौली पुलिस ने एक ड्रंक एंड ड्राइव का मामला पकड़ा।

चार मामले यातायात पुलिस ने पकड़े : यातायात पुलिस की चेकिंग के दौरान स्कूटी

क्रमांक CG 15 CP 8361 के चालक सौरभ, उम्र 22 वर्ष,निवासी अग्रसेन वार्ड अंबिकापुर को रोका गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसी तरह स्कूटी क्रमांक CG 30 F 2291 के चालक चंद्र प्रकाश गुप्ता, उम्र 42 वर्ष, निवासी बलरामपुर को पकड़ा गया। जांच में उसके भी शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। तीसरे मामले में मोटरसाइकिल क्रमांक CG 16 CR 4633 के चालक लाल अवधेश, निवासी लक्ष्मणगढ़ थाना उदयपुर को पकड़ा गया। वहीं चौथे मामले में स्कूटी क्रमांक CG 15 DM 1069 के चालक राहुल दास, उम्र 25 वर्ष, निवासी बंगालीपारा अंबिकापुर को जांच के दौरान शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया।

बतौली में भी कार्रवाई : पांचवीं कार्रवाई बतौली थाना पुलिस ने की। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 CD 8060 के चालक अखिलेश्वर सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी चिरगा बतौली को रोका गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब के सेवन की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सभी पांच वाहन चालकों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। पुलिस ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क पर वाहन चालक के साथ अन्य लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे मामलों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई में बतौली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर,यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त सहित पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका रही।

राजभाषा आयोग सम्मेलन में गूंजी सरगुजिहा और कुड़ुख की मिठास

बेमेतरा में सरगुजा के साहित्यकारों ने छोड़ी छाप,श्याम कश्यप 'बेचैन' और भोला प्रसाद मिश्र 'अनाम' हुए सम्मानित

-संवाददाता-
अंबिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

'माटी के भाखा मा हृदय के स्पंदन बसे रहिथे...'इसी भाव के साथ बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 10वें प्रांतीय सम्मेलन में सरगुजा की साहित्यिक और भाषाई पहचान प्रदेश के मंच पर प्रमुखता से सामने आई। 26 और 27 सितंबर को हुए दो दिवसीय सम्मेलन में प्रदेशभर से 500 से अधिक भाषाविद् और साहित्यकार शामिल हुए। सरगुजिहा, कुड़ुख,सादरी,कोरवा,पंडो,नगेसिया सहित विभिन्न आंचलिक और जनजातीय भाषाओं पर हुए विमर्श ने छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता को एक साथ मंच दिया।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सरगुजा के वरिष्ठ साहित्यकार श्याम कश्यप 'बेचैन' और भोला प्रसाद मिश्र 'अनाम' को मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रभात मिश्र की उपस्थिति में राज्य स्तरीय साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया। सरगुजा की माटी में रची गई साहित्यिक कृतियों को मिले इस सम्मान को अंचल के साहित्यिक

योगदान की महत्वपूर्ण पहचान के रूप में देखा गया। श्याम कश्यप 'बेचैन' लंबे समय से कविता, गीत और गजल के क्षेत्र में सक्रिय हैं। देश के विभिन्न साहित्यिक मंचों और कवि सम्मेलनों में उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सरगुजा की पहचान को सामने रखा है। वहीं भोला प्रसाद मिश्र 'अनाम' की साहित्यिक कृतियों को भी राज्य स्तरीय सम्मान मिलने से सरगुजा के साहित्यिक योगदान को प्रांतीय मंच पर नई पहचान मिली।

श्रीश मिश्र के व्याख्यान में सामने आई सरगुजिहा की भाषाई पहचान : सम्मेलन के छठवें सत्र में प्रादेशिक बोलियों और आंचलिक अभिव्यक्तियों पर विशेष चर्चा हुई। इसमें सरगुजा से पहुंचे साहित्यकार श्रीश मिश्र ने सरगुजिहा और छत्तीसगढ़ी के बीच भाषाई साम्य और जुड़ाव पर व्याख्यान दिया। उन्होंने सरगुजिहा की शब्द-संपदा, बोलचाल और लोक अभिव्यक्तियों के माध्यम से उत्तर छत्तीसगढ़ की भाषाई पहचान को सामने रखा। इसी सत्र में डॉ. ईशा बेला लकड़ा ने सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजातीय भाषा कुड़ुख पर अपना वक्तव्य दिया। चर्चा में कोरवा, पंडो, नगेसिया और सादरी जैसी भाषाओं-बोलियों के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत भी सामने आई। बस्तर की भाषाई विविधता को भी मंच मिला। शकुंतला तरार ने हल्बी भाषा में वक्तव्य देकर वहां की सांस्कृतिक परंपरा और भाषाई विरासत को अभिव्यक्ति दी। हल्बी, गोंडी और भतरी सहित विभिन्न जनजातीय भाषाओं की उपस्थिति ने सम्मेलन को व्यापक भाषाई स्वरूप दिया। विलुप्ति की ओर बढ़ रही कमार जनजाति की भाषा के संरक्षण और उत्थान पर भी सम्मेलन में गंभीर चर्चा हुई। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्र ने जनजातीय सभ्यता, संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।

एआई और डिजिटल माध्यम से सहेजी जाएगी लोकभाषाओं की विरासत : सम्मेलन में यह सवाल भी प्रमुखता से उठा कि तेजी से बदलते डिजिटल दौर में आंचलिक बोलियों और लोकभाषाओं को आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाया जाए। लोककथाओं, पारंपरिक शब्दावली और भाषाई अभिव्यक्तियों के डिजिटल दस्तावेजीकरण पर जोर दिया गया। डॉ. अंकुर शुक्ला (अंकुर विनोद 'खावर') द्वारा प्रस्तुत एआईआधारित 'छत्तीसगढ़ राजभाषा गीत एवं गान' के प्रदर्शन ने तकनीक और भाषा के मेल की संभावनाओं को सामने रखा। इससे सरगुजिहा,कुड़ुख,कमार और कोरवा जैसी भाषाओं के डिजिटल संरक्षण और दस्तावेजीकरण की संभावनाओं पर भी चर्चा को आधार मिला। मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के संकल्प को दोहराया। वहीं 'पुरखा के सुरता' सत्र में डॉ. चितरंजन कर की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के पुरोधा साहित्यकारों और उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और पूर्व विधायक अवधेश सिंह चंदेल ने भी भाषाई विकास से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। दो दिनों तक चले सम्मेलन में सरगुजा के साहित्यकारों को मिला सम्मान और सरगुजिहा-कुड़ुख समेत जनजातीय भाषाओं पर हुआ विमर्श अंचल के लिए खास आकर्षण रहा। सम्मेलन ने यह संदेश भी दिया कि छत्तीसगढ़ की भाषाई पहचान केवल एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग अंचलों की बोलियों, जनजातीय भाषाओं और लोक परंपराओं से मिलकर बनी व्यापक सांस्कृतिक विरासत है।

विश्व हृदय दिवस पर मरीजों की हुई हृदय जांच...

सेवा संकल्प अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य जांच व परामर्श कार्यक्रम

-संवाददाता-
अंबिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत विश्व हृदय दिवस पर मंगलवार को विशेष स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेडिसिन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य मरीजों को हृदय रोगों के प्रति जागरूक करने के साथ समय पर जांच, उपचार और चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना था। ओपीडी हॉल में मरीजों की हृदय संबंधी आवश्यक जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण कर हृदय रोग के लक्षण, जोखिम कारक और बचाव के उपायों की जानकारी दी। मरीजों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, संतुलित आहार लेने और नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाने की सलाह दी गई।

चिकित्सकों ने बताया कि हृदय रोगों की समय पर पहचान और उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। इसके लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है। कार्यक्र महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. अविनाश मेश्राम और अस्पताल अधीक्षक डॉ. आरसी आर्या के मार्गदर्शन तथा नोडल अधिकारी डॉ. संटू बाघ की उपस्थिति में हुआ।

मेडिसिन विभाग के डॉ. अमित यादव,डॉ. नवनीत दुबे, डॉ. रविशंकर भगत सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

सरगुजा संभाग के 06 जिलों के 25 प्रकरणों की जनसुनवाई,06 प्रकरण नस्तीबद्ध

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में तथा संभाग प्रभारी श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला की उपस्थिति में मंगलवार को सरगुजा संभाग स्तर की पहली एवं प्रदेश स्तर की 09वीं जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया,बलरामपुर तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से संबंधित कुल 25 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें से 06 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। जनसुनवाई का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में त्वरित सुनवाई कर उन्हें राहत एवं न्याय दिलाना रहा। सुनवाई के दौरान मानसिक प्रताड़ना से संबंधित एक प्रकरण में कलेक्टर को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं कार्यस्थल पर प्रताड़ना से जुड़े एक प्रकरण में सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को जांच के निर्देश दिए गए।

बाइक की मामूली टक्कर पर विवाद,युवक के सिर पर बोतल मारकर किया घायल

बतौली बगीचा चौक की घटना,पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया,वारदात में इस्तेमाल कांच की बोतल जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मोटरसाइकिल की मामूली टक्कर को लेकर हुए विवाद में युवक के सिर पर कांच की बोतल से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी को बतौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना 20 अगस्त की रात बतौली बगीचा चौक के पास हुई थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कांच की बोतल जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार महेशपुर निवासी अमित कुमार प्रजापति 20 अगस्त की रात करीब 8 बजे अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से बतौली बगीचा चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल की आरोपी रितिक शर्मा उर्फ लल्ला से मामूली टक्कर होने की बात को लेकर विवाद हो गया।

गाली-गलौज के बाद बोतल से सिर पर हमला

विवाद बढ़ने पर आरोपी ने अमित के साथ गाली-गलौज की। आरोप है कि इसी दौरान उसने पास पड़ी खाली कांच की बोतल उठाकर अमित के सिर पर वार कर दिया। हमले में उसके सिर पर गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अमित की रिपोर्ट पर 21 अगस्त को बतौली थाने में अपराध क्रमांक 107/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 296, 351(3), 115(2) और 109(1) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट से जुटाए साक्ष्य : डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर बतौली पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कांच की टूटी बोतल जब्त की।

गवाहों के बयान और मुलाहिजा रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए। इसके बाद बतौली निवासी रितिक शर्मा उर्फ लल्ला (26) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।

अदालत ने दोषी ठहराया,बाहर आते मुस्कुराता दिखा आरोपी,वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

दो साल पुराने दोहरे हत्याकांड में चार दोषी,8 अक्टूबर को सजा पर फैसला

आरोपी के वीडियो ने फिर छेड़ी कानून के सम्मान और संवेदनशीलता पर बहस

दोहरा हत्याकांड : दोषसिद्धि के दिन आरोपी के अंदाज ने फिर चौंकाया

दो साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फैसला, आरोपी के अंदाज ने छेड़ी नई बहस

पत्नी-बेटी की हत्या के दोषी का फैसला सुनते दिन दिखा अलग अंदाज, वीडियो वायरल

जिस वारदात ने सूरजपुर को दहलाया, उसी के फैसले के दिन आरोपी के चेहरे पर मुस्कान!

दोहरे हत्याकांड का फैसला, आरोपी के व्यवहार ने फिर याद दिलाया वह खौफनाक रात

फैसला आया तो चेहरे पर मुस्कान! सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में आरोपी के अंदाज पर सवाल

दो साल बाद भी नहीं थमा खौफ, अदालत में अंतिम सुनवाई के दिन आरोपी का अंदाज बना नया सवाल

पुलिसकर्मी के घर में घुसकर पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या ने पूरे सूरजपुर को झकझोरा था, अब फैसले की घड़ी में सामने आए वीडियो ने फिर छेड़ी कानून के भय और अपराधबोध पर बहस

-संवाददाता-
सूरजपुर,29 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर का वह दो साल पुराना दोहरा हत्याकांड आज भी लोगों के जेहन से पूरी तरह मिट नहीं पाया है,घटना को याद करते ही विशेषकर

दो साल बाद फैसले की घड़ीज पर सूरजपुर का बहुचर्चित दोहरा हत्याकांड,चार आरोपी दोषी करार...सजा पर 8 अक्टूबर को फैसला

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में चार दोषी,सजा पर फैसला 8 अक्टूबर को

महिलाएं उस भयावह रात को लेकर सिहर उठती हैं,एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर देना केवल दो लोगों की जान लेने की घटना नहीं थी,बल्कि इसने सुरक्षा, महिला सम्मान और कानून के राज को लेकर समाज के भीतर गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वे लंबे समय से जेल में निरुद्ध रहे और मामला न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरता रहा,दो वर्षों तक सुनवाई, गवाही और कानूनी प्रक्रिया के बीच पीड़ित परिवार और समाज फैसले की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन अब जब मामले में अंतिम निर्णय की घड़ी आई,तो न्यायालय परिसर से सामने आए एक वीडियो ने इस पुराने जख्म को एक बार फिर कुरेद दिया है,सवाल अपराध की भयावहता से आगे बढ़कर अब अपराध के बाद आरोपी के व्यवहार और समाज पर उसके प्रभाव तक पहुंच गया है।

वह वारदात जिसे याद करना भी आसान नहीं-जिस घटना ने सूरजपुर को झकझोर दिया था,उसकी भयावहता केवल हत्या तक सीमित नहीं थी,आरोपियों पर जिस तरह घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने और बाद में शवों को वीराने में फेंकने के आरोप लगे, उसने लोगों को भीतर तक हिला दिया था, सबसे गंभीर पहलू यह था कि पीड़ित परिवार में दो महिलाएं थीं,जिनमें एक नाबालिग थी, इसलिए इस घटना को लेकर महिला सुरक्षा और महिला सम्मान का सवाल भी उतनी ही गंभीरता से सामने आया,किसी भी समाज में घर को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है,लेकिन जब किसी पुलिसकर्मी के घर के भीतर ही ऐसी वारदात हो जाए, तो उसका असर केवल उस परिवार तक सीमित नहीं रहता,वह घटना पूरे समाज के सुरक्षा-बोध को प्रभावित करती है, यही कारण है कि दो साल बीत जाने के बाद भी इस मामले की चर्चा होते ही पुराने भय की तस्वीरें लोगों के सामने आ जाती हैं।

गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ कानून का लंबा सफर-पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई,कानून ने अपना रास्ता तय किया, आरोपों, साक्ष्यों,गवाहों और बचाव पक्ष की दलीलों के बीच मामला अंतिम निर्णय तक पहुंचा,यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है–किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप और न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दो अलग-अलग कानूनी अवस्थाएं हैं, अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय के निर्णय से ही निर्धारित होती है, इस मामले में भी यही न्यायिक प्रक्रिया चली और आखिरकार वह दिन आया जब अदालत में अंतिम सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया सामने थी, लेकिन इसी दिन सामने आए एक वीडियो ने चर्चा का रुख बदल दिया।

फैसले की घड़ी में आरोपी का अंदाज क्यों बना चर्चा का विषय?- मामले के प्रमुख आरोपी का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं,वीडियो में दिखाई देने वाले उसके अंदाज को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि जिस मामले ने पूरे जिले को झकझोर दिया, जिस मामले में दो महिलाओं की जान चली गई और जिसका फैसला वर्षों की न्यायिक प्रक्रिया के बाद सामने आने वाला था, उस समय आरोपी के व्यवहार को समाज किस रूप में देखे? यहां सवाल केवल एक व्यक्ति के व्यवहार का नहीं है, सवाल यह है कि क्या गंभीर अपराध के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति के व्यवहार में न्यायिक प्रक्रिया और कानून के प्रति सम्मान दिखाई देना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसे मामलों में आरोपी के आचरण का पीड़ित परिवार और समाज के मनोविज्ञान पर कोई असर पड़ता है?

क्या जेल और मुकदमे के दो साल बाद भी अपराध की गंभीरता का एहसास नहीं?- यही वह प्रश्न है जिसने अब नई बहस को जन्म दिया है,हालांकि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उसके मन में अपराधबोध है या नहीं, इसका निष्कर्ष केवल किसी वीडियो को देखकर निकालना उचित नहीं होगा, अपराधबोध एक निजी मानसिक अवस्था है और उसका आकलन केवल किसी चेहरे के भाव या कुछ सेकंड के वीडियो से नहीं किया जा सकता, लेकिन सार्वजनिक व्यवहार का सामाजिक प्रभाव जरूर होता है,जब कोई मामला इतना गंभीर हो कि उसने पूरे जिले को हिला दिया हो,पीड़ित परिवार की जिंदगी बदल दी हो और महिलाएं आज भी उस घटना को याद कर भय महसूस करती हों,तब न्यायालय में अंतिम सुनवाई के दिन आरोपी का कोई भी सार्वजनिक व्यवहार स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान खींचता है, यही इस वीडियो की असली बहस है।

कानून का डर नहीं,कानून पर भरोसा जरूरी-किसी भी लोकतांत्रिक और कानून-आधारित समाज में अपराधियों के लिए केवल 'कानून का डर' ही पर्याप्त नहीं है, उससे भी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति यह समझे कि कानून से ऊपर कोई नहीं है,कानून अपना काम अदालत में करता है। आरोपी को अपना बचाव करने का अधिकार है, अभियोजन को आरोप साबित करने होते हैं और न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना होता है,लेकिन जब न्यायालय अपना निर्णय सुनाने की स्थिति तक पहुंचता है,तब समाज की नजर केवल फैसले पर नहीं होती, लोग यह भी देखते हैं कि इतनी गंभीर घटना के आरोपी न्यायिक प्रक्रिया को किस तरह लेते हैं,यही कारण है कि इस वीडियो ने लोगों के बीच यह सवाल फिर खड़ा किया है कि क्या इतने जघन्य मामले के बाद भी समाज में कानून के प्रति सम्मान का भाव मजबूत हो रहा है या कहीं कुछ ऐसा है जो लोगों के मन में कानून के भय को कमजोर करता है?

दो साल बाद भी पीड़ित परिवार का दर्द सबसे बड़ा सवाल-इस पूरी बहस के केंद्र में आरोपी नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार होना चाहिए, दो लोगों की हत्या के बाद उनके परिजनों ने जिस मानसिक और सामाजिक पीड़ा को झेला,उसका कोई वीडियो या न्यायालय का कोई आदेश पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकता। न्यायालय का फैसला कानूनी न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है, लेकिन परिवार के लिए खोई हुई जिंदगी वापस नहीं आ सकती,इसीलिए इस मामले में अंतिम फैसला केवल एक मुकदमे का अंत नहीं होगा,यह उस परिवार के लिए लंबे इंतजार का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा जिसने दो साल तक न्याय की प्रतीक्षा की है।

वीडियो ने पुराने जख्म को फिर सामने ला दिया- सूरजपुर दो साल पहले जिस घटना से दहल गया था, वह मामला भले ही न्यायालय में अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया हो, लेकिन समाज की स्मृति में उसका असर अभी बाकी है,प्रमुख आरोपी का सामने आया वीडियो इसी पुराने जख्म पर एक नया सवाल छोड़ गया है क्या गंभीर अपराध के बाद न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने वाले व्यक्ति के व्यवहार में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान दिखाई देना चाहिए?

इस सवाल का जवाब केवल अदालत नहीं दे सकती,यह सवाल समाज, कानून व्यवस्था और हमारी सामूहिक संवेदनशीलता से भी जुड़ा है,क्योंकि अदालत सजा या बरी करने का फैसला करती है, लेकिन अपराध का सामाजिक असर फैसला आने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है,और सूरजपुर के इस दोहरे हत्याकांड में शायद यही सबसे कड़वी सच्चाई है–दो साल गुजर गए,न्यायिक प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई, लेकिन उस रात का खौफ आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

स्वच्छ पाठशाला-युवा फॉर स्वच्छता के तहत विद्यार्थियों ने किया ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का भ्रमण

अपशिष्ट प्रबंधन,कम्पोस्टिंग और घरों में चार श्रेणियों में कचरा पृथक्करण की दी गई जानकारी...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सेवा संकल्प एवं स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को 'स्वच्छ पाठशाला-युवा फॉर स्वच्छता' गतिविधि के तहत विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्वच्छता, कचरा पृथक्करण, अपशिष्ट प्रबंधन तथा कम्पोस्टिंग की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को बताया गया कि स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घरों से निकलने वाले कचरे का उचित पृथक्करण और उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों

को अपने घर,विद्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया।

'चार श्रेणियों में कचरा पृथक्करण की दी जानकारी' : विद्यार्थियों को घरों में उत्पन्न होने वाले कचरे को चार अलग-अलग गीला,सूखा,घरेलू हानिकारक एवं सैनिटरी कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में पृथक कर रखने तथा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उसका निपटान करने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि कचरे का स्रोत स्तर पर सही पृथक्करण करने से उसके पुनर्चक्रण एवं उचित प्रबंधन में आसानी होती है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को कम्पोस्टिंग की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया तथा जैविक कचरे से खाद तैयार करने के महत्व की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों से स्वच्छता के संदेश को अपने परिवार और आसपास के नागरिकों तक पहुंचाने तथा स्वच्छ शहर के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कम उम्र से ही स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना तथा उन्हें स्वच्छता अभियान के सक्रिय सहभागी के रूप में प्रेरित करना रहा।

अंगना मिलन सेवा कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों की रही सक्रिय सहभागिता

मेहंदी,क्विज,चित्रकला और पोषण रंगोली के माध्यम से दिया जागरूकता का संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 266 आंगनबाड़ी केंद्रों में अंगना मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न रचनात्मक एवं जागरूकता आधारित गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विषयों की जानकारी देकर समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों के लिए मेहंदी, क्विज, चित्रकला और पोषण आधारित रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़े संदेशों को सरल और रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं ग्रामीणजनों को पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। उन्हें परिवार एवं समुदाय स्तर पर पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं समुचित विकास में सामूहिक सहभागिता के महत्व से अवगत कराया गया। अंगना मिलन सेवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों को उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

स्वर्गीय लरंग साय की स्मृति में 2 अक्टूबर से जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता

वनांचल की ग्रामीण आदिवासी प्रतिभाओं को मंच देने लरंग साय सेवा समिति की पहल, विजेता को 1,11,111 और उपविजेता को 55,555

-संवाददाता-
बलरामपुर,29 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सरगुजा के गांधी के नाम से पहचाने जाने वाले स्वर्गीय लरंग साय की स्मृति में लरंग साय सेवा समिति द्वारा जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य सुदूर वनांचल एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में छिपी ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान कर उन्हें समाज और सरकार के सामने एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। यह प्रतियोगिता स्वर्गीय लरंग साय के गांव ग्राम पंचायत चिरई-जसवंतपुर में 2 अक्टूबर,गांधी जयंती के अवसर पर प्रारंभ होगी। शुभारंभ कार्यक्रम में सनातन संत समाज के अध्यक्ष संत परम श्रद्धेय वबरूर वाहन महाराज,छत्तीसगढ़ शासन के गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अनुराग सिंह देव,सामरी विधायक उद्देश्वरी पैकरा, भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल तथा पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण मिश्रा अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। लरंग साय सेवा समिति के अध्यक्ष राम लखन सिंह पैकरा ने बताया कि प्रतियोगिता में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की टीमों को शामिल किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली विजेता टीम को 1,11,111 तथा उपविजेता टीम को 55,555 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक प्रतिभागी टीम का प्रवेश शुल्क 2,100 निर्धारित किया गया है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्वर्गीय लरंग साय आदिवासी समाज के प्रखर एवं मुखर व्यक्तित्व थे। उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर समाज के हित में कार्य किया। उनके जीवन और विचारों से प्रेरणा लेते हुए समिति द्वारा ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर गत दिनों ग्राम पंचायत भवन चिरई में आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरवाराम, दयाराम,सरपंच बुधनाराम,खगेश साय,अभय पैकरा, धर्मेंद्र साय,गणेश राम पैकरा सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं आसपास के ग्रामों के बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

CMYK

प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक — पदोन्नति पर नए नियम का असर | **राजपत्र के बिंदु 17(क) में साफ प्रावधान — अनुरोध पर तबादला तो नए जिले में 'नवीनतम'** | **सरगुजा सहित कई जिलों के प्रधान आरक्षकों की बढ़ी चिंता, पुराने जिले में लौटने के आवेदन शुरू**

तबादला खुद मांगा, अब पदोन्नति में वरिष्ठता गंवाने का संकट

प्रधान आरक्षकों के तबादले ने बदली पदोन्नति की तस्वीर...

नए राजपत्र ने खोली वरिष्ठता की गांठ...अनुरोध पर तबादला तो सबसे नीचे...

तबादला बना वरिष्ठता की बड़ी चुनौती, प्रधान आरक्षकों पर नए नियम का असर

पुरानी वरिष्ठता गई! अनुरोध पर तबादला लेने वाले अब नए जिले में 'नवीनतम'

एक तबादला, बदल गई वरिष्ठता, प्रधान आरक्षकों की पदोन्नति पर नए नियम का असर

पदोन्नति से पहले बड़ा झटका! अनुरोध पर तबादला वालों की वरिष्ठता बदली

नए जिले में पहुंचते ही वरिष्ठता सबसे नीचे, राजपत्र में साफ हुआ नियम

जिस तबादले की खुद मांग की,वही अब वरिष्ठता में पड़ सकता है भारी

प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति के नए नियम ने बदली तस्वीर

राजपत्र के बिंदु 17(क) में साफ प्रावधान–अनुरोध पर स्थानांतरण वाले कर्मचारी को नए जिले की वरिष्ठता सूची में माना जाएगा 'नवीनतम'

-न्यूज डेस्क-
सरगुजा,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ पुलिस में प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति को लेकर अब एक नई प्रशासनिक और विभागीय तस्वीर सामने आई है,पहले जारी पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय,बिलासपुर में कई याचिकाएं दायर हुई थीं, इसके बाद 11 अगस्त 2026 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में पुलिस मुख्यालय ने 27 अगस्त 2026 को वर्ष 2026 की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है, इसके साथ ही 8 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में पुलिस कार्यपालिक बल के भर्ती, पदोन्नति और सेवा की शर्तों से संबंधित संशोधित नियम प्रकाशित हुए हैं। नई व्यवस्था सामने आने के बाद अब सरगुजा संभाग में उन प्रधान आरक्षकों की स्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिन्होंने पूर्व में प्रशासनिक आदेश से हुए तबादले के बाद स्वयं के अनुरोध पर अपना जिला बदलवा लिया था,उस समय मनचाहे जिले में पदस्थापना हासिल करना उनके लिए सुविधा का विषय रहा होगा,लेकिन अब पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान यही निर्णय उनके लिए प्रशासनिक पेच बन सकता है,प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में लागू किए गए नए नियम ने संभाग के उन पुलिस कर्मचारियों के सामने नई स्थिति खड़ी कर दी है, जिन्होंने पूर्व में अपने अनुरोध पर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण कराया था, अब ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता नए जिले में उसी पुराने क्रम से नहीं चलेगी,8 सितंबर 2026 को जारी राजपत्र में पदोन्नति प्रक्रिया के बिंदु 17 (क) 'वरिष्ठता' में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, राजपत्र में कहा गया है कि आरक्षक तथा प्रधान आरक्षक के पद जिला संवर्ग के हैं, इसके बाद प्रशासनिक स्थानांतरण और कर्मचारी के स्वयं के अनुरोध पर किए गए स्थानांतरण के बीच वरिष्ठता के निर्धारण को अलग-अलग रखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान में स्पष्ट लिखा है की कर्मचारी के अनुरोध पर स्थानांतरण होने पर उसे स्थानांतरण आदेश की तारीख से संबंधित जिला/इकाई की वरिष्ठता सूची में नवीनतम माना जाएगा, यानी मामला केवल नए जिले में पदस्थापना का नहीं है, बल्कि स्थानांतरण के साथ वरिष्ठता क्रम पर सीधा असर पड़ने का है।

पहले तबादला कराया...अब पुरानी जगह लौटने की कोशिश की चर्चा...

पुलिस विभाग में प्रशासनिक जरूरत के आधार पर समय-समय पर कर्मचारियों के तबादले किए जाते हैं, सरगुजा संभाग में भी प्रधान आरक्षकों सहित पुलिसकर्मियों के प्रशासनिक तबादले होते रहे हैं, लेकिन चर्चा उन कर्मचारियों को लेकर है, जिन्हें प्रशासनिक स्तर पर एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया था और बाद में उन्होंने स्वयं आवेदन देकर दूसरे जिले में तबादला करा लिया, अर्थात विभागीय आदेश से जिस स्थान पर भेजा गया था, वहां सेवा जारी रखने के बजाय कर्मचारी ने अपने अनुरोध के आधार पर दूसरी जगह पदस्थापना हासिल कर ली, उस समय शायद किसी को यह अनुमान नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में पदोन्नति की प्रक्रिया में वरिष्ठता, सेवा-अभिलेख और पदस्थापना की स्थिति महत्वपूर्ण सवाल बन सकती है, अब जब प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक पदोन्नति की प्रक्रिया नए नियमों और निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आगे बढ़ रही है, ऐसे कर्मचारियों की स्थिति को लेकर विभागीय स्तर पर हलचल दिखाई दे रही है।

मनचाहे जिले में पहुंचना अब भारी पड़ने की आशंका- कई कर्मचारियों के लिए स्वयं के अनुरोध पर तबादला उस समय राहत का रास्ता रहा होगा, लेकिन अब वही तबादला उनके सेवा रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, किस कर्मचारी का तबादला किस आदेश से हुआ? क्या वह प्रशासनिक था? क्या कर्मचारी ने बाद में स्वयं आवेदन किया? उस आवेदन के आधार पर किस जिले में पदस्थापना मिली? वहां कर्मचारी ने कितने समय तक सेवा की? पदोन्नति के लिए संबंधित अवधि में उसकी वरिष्ठता और सेवा-अभिलेख किस इकाई में माना जाएगा? ये सारे प्रश्न अब महत्वपूर्ण हो गए हैं, यही वजह है कि सरगुजा संभाग में कुछ प्रधान आरक्षकों द्वारा कथित रूप से अपने रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष आवेदन देकर पूर्व पदस्थापन पर वापस भेजे जाने की कोशिश किए जाने की चर्चा है, इन आवेदनों में यदि कर्मचारी पूर्व में किए गए अपने अनुरोध को वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो मूल सवाल यह है कि क्या बाद में आवेदन वापस लेने से पहले हुए स्थानांतरण का प्रशासनिक प्रभाव समाप्त हो जाएगा? इसका निर्णय संबंधित नियमों और सक्षम प्राधिकारी को करना होगा।

अब आवेदन वापस लेने से क्या बदलेगा?- यही पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है,यदि किसी कर्मचारी ने स्वयं आवेदन देकर दूसरे जिले में स्थानांतरण प्राप्त किया और उसके बाद वहां पदभार ग्रहण कर सेवा भी की, तो उस अवधि का रिकॉर्ड विभाग के पास रहेगा,बाद में यदि वही कर्मचारी यह कहता है कि वह अपना पुराना आवेदन वापस लेना चाहता है और पहले वाले जिले में पदस्थ किया जाए, तो केवल आवेदन वापस लेने से पिछली सेवा अवधि और उस दौरान हुए प्रशासनिक घटनाक्रम स्वतः समाप्त हो जाएंगे या नहीं–यह अलग प्रश्न है, इसलिए अब इस तरह के मामलों में केवल कर्मचारी की इच्छा नहीं, बल्कि स्थानांतरण आदेश, पदस्थापना आदेश, कार्यभार ग्रहण, सेवा-अभिलेख और पदोन्नति नियम महत्वपूर्ण होंगे, यही कारण है कि इस मामले में किसी कर्मचारी के संबंध में अभी से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि वह निश्चित रूप से पदोन्नति सूची से बाहर हो जाएगा।

जिस जिले में पहुंचे,वहीं वरिष्ठता सूची के सबसे नीचे- इस प्रावधान का सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई प्रधान आरक्षक अपने अनुरोध पर पुराने जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण कराता है,तो नए जिले में उसकी पूर्व वरिष्ठता स्वतः उसके साथ नहीं आती, स्थानांतरण आदेश की तारीख से उसे उस जिला/इकाई की वरिष्ठता सूची में नवीनतम माना जाएगा, उदाहरण के तौर पर किसी प्रधान आरक्षक ने पुराने जिले में कई वर्षों की सेवा पूरी कर वरिष्ठता हासिल की है,बाद में उसने अपनी इच्छा से दूसरे जिले में स्थानांतरण मांगा और आदेश जारी हो गया,नए नियम के अनुसार नए जिले में उसकी वरिष्ठता पुराने जिले के वर्षों के आधार पर ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि उसे संबंधित जिला/इकाई की वरिष्ठता सूची में नवीनतम माना जाएगा,यही वह प्रावधान है, जिसने अब पदोन्नति की दौड़ में शामिल होने वाले कई प्रधान आरक्षकों की स्थिति को महत्वपूर्ण बना दिया है।

प्रशासनिक तबादला और अनुरोध पर तबादला—दोनों में फर्क-राजपत्र में वरिष्ठता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण और कर्मचारी के अनुरोध पर किए गए स्थानांतरण को एक जैसा नहीं माना गया है, यदि स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के कारण किया गया है,तो उसकी वरिष्ठता का निर्धारण अलग प्रावधानों के अनुसार होगा,लेकिन कर्मचारी ने स्वयं स्थानांतरण का अनुरोध किया और उसी आधार पर दूसरे जिले/इकाई में स्थानांतरण हुआ, तो नया नियम सीधे लागू होता है,यही अंतर अब पुलिस विभाग के भीतर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

पुरानी वरिष्ठता बचाने की कोशिश? लौटने के आवेदन की चर्चा- बताया जा रहा है कि सरगुजा संभाग में ऐसे कुछ प्रधान आरक्षक,जिन्होंने पूर्व में अपने अनुरोध पर स्थानांतरण कराया था,अब नए नियम के प्रभाव को देखते हुए पुराने जिले में वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं, कुछ कर्मचारियों द्वारा रेंज स्तर पर अपने पूर्व स्थानांतरण संबंधी आदेश को वापस लेने अथवा पुराने जिले में पुनः पदस्थापना के लिए आवेदन किए जाने की जानकारी सामने आ रही है,हालांकि यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि सिर्फ वापसी के लिए आवेदन कर देने से पुरानी वरिष्ठता स्वतः बहाल हो जाएगी, ऐसा राजपत्र के उपलब्ध प्रावधान में नहीं लिखा है, वापसी का आवेदन स्वीकार होगा या नहीं और स्वीकार होने की स्थिति में वरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित होगी,यह संबंधित सक्षम प्राधिकारी के आदेश और लागू नियमों पर निर्भर करेगा, इसलिए अब पूरा मामला केवल तबादले का नहीं, बल्कि तबादले के बाद वरिष्ठता के पुनर्निर्धारण का भी बन गया है।

16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक दावा-आपत्ति का महत्वपूर्ण चरण-पुलिस मुख्यालय की संशोधित समय-सारणी के अनुसार रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कर्मचारियों की दावा-आपत्तियों के निराकरण के लिए 16 अक्टूबर 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है, यह अवधि इसलिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसी दौरान कर्मचारी अपने सेवा रिकॉर्ड या वरिष्ठता को लेकर अपनी बात रख सकेंगे,इसके बाद 16 नवंबर 2026 तक रेंज स्तर की समिति द्वारा पात्र आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों के रिकॉर्ड एवं मास्टर चार्ट का परीक्षण कर चयन सूची अनुमोदन के लिए भेजने की प्रक्रिया निर्धारित है,इसके बाद 30 नवंबर 2026 को योग्यता सूची जारी करने की तारीख निर्धारित की गई है।

हाईकोर्ट की कार्यवाही के बाद बदली प्रक्रिया- पुलिस मुख्यालय के 27 अगस्त के आदेश में स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर विभिन्न याचिका प्रकरणों में 11 अगस्त 2026 को पारित आदेश का उल्लेख किया गया है, आदेश में याचिकाओं के क्रमांक 4339/2026,4471/2026, 5018/2026, 4809/2026, 4713/2026, 4691/2026, 4383/2026, 4446/2026, 4445/2026 और 4364/2026 सहित अन्य प्रकरणों में पारित आदेश के संदर्भ में वर्ष 2026 की पदोन्नति प्रक्रिया की संशोधित समय-सारणी निर्धारित की गई है, पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालय के 11 अगस्त के आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। अब वरिष्ठता सूची पर सबकी नजर- पदोन्नति प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील हिस्सा अब वरिष्ठता सूची और पात्रता सूची बनने का है, किस प्रधान आरक्षक को किस आधार पर वरिष्ठ माना जाएगा? किसका सेवा रिकॉर्ड किस इकाई से लिया जाएगा? तबादले के बाद उसकी सेवा किस तरह दर्ज है? क्या प्रशासनिक तबादले और स्वयं के अनुरोध पर किए गए स्थानांतरण को समान रूप से देखा जाएगा या अलग प्रशासनिक परिस्थितियों के रूप में दर्ज किया जाएगा? इन सवालों के जवाब दस्तावेजों और विभागीय परीक्षण के दौरान सामने आएंगे। सरगुजा में क्यों बढ़ी बेचैनी?- सरगुजा संभाग में इस पूरी प्रक्रिया का असर इसलिए अधिक चर्चा में है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में प्रधान आरक्षक लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं, कुछ कर्मचारियों ने वर्षों तक एक ही इकाई में सेवा की है, जबकि कुछ के तबादले अलग-अलग कारणों से होते रहे हैं, इनमें से जिन कर्मचारियों का प्रशासनिक तबादला हुआ और बाद में उन्होंने स्वयं आवेदन देकर अपनी पदस्थापना बदलवाई, उनके लिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग उनकी वरिष्ठता और पात्रता का निर्धारण किस प्रकार करता है, यदि ऐसे कर्मचारी अब पुराने जिले में वापस जाने का प्रयास करते हैं तो यह अपने आप में एक नया प्रशासनिक मामला होगा।

30 नवंबर को सामने आएगी काफी हद तक तस्वीर- फिलहाल पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अगला चरण दावा-आपत्ति और रिकॉर्ड परीक्षण है, 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर–दावा-आपत्तियों का निराकरण, 16 नवंबर–रेंज स्तर की समिति द्वारा रिकॉर्ड/मास्टर चार्ट के परीक्षण के बाद चयन सूची भेजने की प्रक्रिया, 30 नवंबर–योग्यता सूची जारी करने की निर्धारित तारीख, यानी अगले दो महीने छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रधान आरक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।

एक आवेदन ने बदल दी वरिष्ठता की तस्वीर

पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि कर्मचारी द्वारा मांगा गया स्थानांतरण केवल पदस्थापना बदलने वाला आदेश नहीं रह गया है, नए राजपत्र के अनुसार, यदि वह स्थानांतरण उसके अनुरोध पर हुआ है, तो नए जिले में उसकी वरिष्ठता भी नए सिरे से प्रभावित होगी, इसलिए सरगुजा संभाग के प्रधान आरक्षकों के बीच अब यह सवाल सबसे बड़ा है कि जिस तबादले को कभी व्यक्तिगत सुविधा या आवश्यकता के रूप में मांगा गया था, क्या वही निर्णय अब पदोन्नति के समय वरिष्ठता के क्रम में पीछे कर देगा? राजपत्र का बिंदु 17(क) कम से कम इस एक बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है–अनुरोध पर हुए स्थानांतरण के बाद संबंधित जिला/इकाई की वरिष्ठता सूची में कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश की तारीख से 'नवीनतम' माना जाएगा, अब इसका वास्तविक असर आगामी पदोन्नति की वरिष्ठता सूची सामने आने के बाद और अधिक स्पष्ट होगा।

चुनाव आयोग के फैसलों पर उठे सवाल,सूरजपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन

अग्रसेन चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च,पुतला दहन कर कलेक्टर को सौंपा आवेदन;ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे,एफआईआर और फैसलों की समीक्षा की मांग

-संवाददाता-
सूरजपुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान निर्वाचन आयोग के कुछ निर्णयों को लेकर सामने आए विवाद के बीच जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिलाध्यक्ष शशि सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अग्रसेन चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर नारेबाजी की, कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कांग्रेसजनों ने पुतला दहन किया, इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संबंध में इस्तीफे, एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी तथा उनके कार्यकाल में लिए गए विवादित निर्णयों की पारदर्शी समीक्षा की मांग रखी।

14 बार आपत्ति का मुद्दा बना प्रदर्शन का आधार- कांग्रेस ने अपने आवेदन में निर्वाचन आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों का उल्लेख किया है, यह मुद्दा हाल में सामने आई एक रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, जिसमें कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में आयोग के विभिन्न निर्णयों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीयन, मतदाता सूची से नाम जोड़ने-हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता डेटा और निर्वाचन संबंधी तकनीकी व्यवस्थाओं सहित अन्य विषय शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने कुछ मामलों में निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर सवाल उठाए थे।

निर्वाचन आयोग ने कहा—अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से- वहीं, निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों के बाद स्पष्ट किया कि आयोग के भीतर अलग-अलग विचार और टिप्पणियां बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था की सामान्य आंतरिक विचार-विमर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं,आयोग के अनुसार एसआईआर समेत महत्वपूर्ण निर्णय तीनों निर्वाचन आयुक्तों की स्वीकृति से सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

मतदाता सूची और डेटा प्रबंधन पर कांग्रेस के सवाल-जिला कांग्रेस ने अपने आवेदन में मतदाता सूची की प्रक्रिया, नए मतदाताओं के पंजीयन, मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने तथा निर्वाचन डेटा के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग के कुछ निर्णयों से सत्तारूढ़ भाजपा को लाभ पहुंचने की स्थिति बनी, हालांकि,ये कांग्रेस द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं,जबकि निर्वाचन आयोग ने अपने निर्णयों में किसी पक्ष को लाभ पहुंचाने के आरोप को स्वीकार नहीं किया है और अपनी निर्णय प्रक्रिया को सर्वसम्मत बताया है।

'वोट चोरी' अभियान का भी किया उल्लेख

कांग्रेस ने आवेदन में राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे 'वोट चोरी' अभियान का भी उल्लेख किया, पार्टी का कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के कारण आम मतदाताओं के बीच निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस ने मांग की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान लिए गए उन निर्णयों की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए, जिन्हें लेकर सवाल उठे हैं, साथ ही पार्टी ने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और इस्तीफे की मांग की है।

बड़ी संख्या में कांग्रेसजन रहे मौजूद

प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह,महामंत्री संजय डोसी,इस्माइल खान, विद्यासागर सिंह,नरेंद्र जैन,अशोक जगते,प्रदीप साहू, इम्तियाज जफर,त्रिभुवन सिंह, वेद मिश्रा,नवीन जायसवाल,आशीष यादव,बिहारी कुलदीप,प्रवेश गोयल,विकास सिंह,संदीप शर्मा,विनय सिंह,नीरज सिंह,आनंद कुंवर,बबीता गुप्ता,लिली राजवाड़े, हेमलता राजवाड़े,जरीना सुल्ताना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे, इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्षों में महेंद्र साहू,विधात्री सिंह,कवल बिहारी सिंह, लवकेश गुर्जर,अरविंद यादव,अंशुल गोयल,रामकुमार बंछोर,चंद्रदत्त दुबे,लक्ष्मण राजवाड़े,आनंद चौधरी,सुरेश आयाम,सुनील सारथी,लालजी राजवाड़े,संतोष पावले, समीर सिंह,संतोष गुप्ता,जमील सिद्दीकी,विनय पावले,अजय सोनवानी,परमेश्वर राजवाड़े,शांतू डोसी,शक्ति ठाकुर,पारस राजवाड़े,लिवनेस सिंह,राहुल सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।

वार्ड आरक्षण तय, अब दावेदारों की दौड़

बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा नगर पालिका में किस वार्ड से कौन लड़ सकेगा चुनाव

कांग्रेस और भाजपा के सामने प्रत्याशी चयन की नई चुनौती

आरक्षण तय होते ही बदली बैकुंठपुर-शिवपुर चरचा की सियासी तस्वीर

बैकुंठपुर के 20 और शिवपुर-चरचा के 15 वार्डों का आरक्षण पूरा,अब भाजपा-कांग्रेस के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती...कई पुराने दावेदारों के समीकरण बदले,नए चेहरों के लिए खुला रास्ता

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब चुनावी तस्वीर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुकी है, बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा नगर पालिका के सभी वार्डों का आरक्षण तय हो गया है,लंबे समय से आरक्षण का इंतजार कर रहे संभावित पार्षद दावेदारों के सामने अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस वार्ड से किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकता है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों के सामने अगला बड़ा सवाल उम्मीदवार चयन का है, खासकर भाजपा और कांग्रेस के लिए यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरक्षण ने कई संभावित दावेदारों के पुराने वार्ड में चुनाव लड़ने की संभावनाओं को प्रभावित किया है,वहीं कुछ वार्डों में नए चेहरों के लिए अवसर भी बन गए हैं,कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में 28 सितंबर को दोनों नगर पालिकाओं के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई।

बैकुंठपुर के 20 वार्डों में कौन-सा आरक्षण?

बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद में कुल 20 वार्ड हैं, आरक्षण के बाद इनमें 1 वार्ड अनुसूचित जाति,2 वार्ड अनुसूचित जनजाति,7 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और 10 वार्ड अनारक्षित रखे गए हैं,इन वर्गों के भीतर महिला आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

आरक्षण ने कई दावेदारों की तैयारी पर लगाया ब्रेक

आरक्षण से पहले संभावित प्रत्याशियों के बीच अपने-अपने वार्ड से चुनाव लड़ने को लेकर तैयारियां चल रही थीं, कई दावेदार लंबे समय से वार्ड में संपर्क, बैठकों और संगठनात्मक गतिविधियों के जरिए अपनी जमीन तैयार कर रहे थे,लेकिन आरक्षण की तस्वीर सामने आते ही अब उन दावेदारों को अपनी रणनीति दोबारा देखनी होगी, जिनका वार्ड उनकी अपेक्षित श्रेणी में नहीं आया है, यहीं से राजनीतिक दलों की असली कवायद शुरू होगी, किस वार्ड में पार्टी का पुराना चेहरा फिट बैठता है,कहां नए चेहरे को मौका देना होगा, किस वार्ड में महिला उम्मीदवार की तलाश करनी होगी और किस आरक्षित वार्ड में संबंधित वर्ग के भीतर पार्टी के पास कितने विकल्प हैं–इन तमाम सवालों पर अब संगठन के भीतर चर्चा तेज होना स्वाभाविक है,आरक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि नगरीय चुनाव में यह सीधे तौर पर दावेदारियों और टिकट वितरण की दिशा तय करने वाला कारक बन जाता है।

शिवपुर-चरचा में भी 15 वार्डों की तस्वीर साफ

बैकुंठपुर के साथ ही शिवपुर-चरचा नगर पालिका परिषद के 15 वार्डों का आरक्षण भी पूरा हो गया है, यहां 2 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति,3 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और 8 वार्ड अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं,इन प्रवर्गों में महिला आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है, इसका अर्थ है कि शिवपुर-चरचा में भी अब दावेदारों के सामने स्थिति पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट है, जो उम्मीदवार सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे,उन्हें आरक्षण के बाद अपने विकल्पों को देखना होगा, वहीं एससी,एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में संबंधित वर्ग के दावेदारों के बीच टिकट की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

अब भाजपा-कांग्रेस की रणनीति की बारी

आरक्षण की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर पूरी हो चुकी है,अब राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने-अपने संगठन के भीतर वार्डवार संभावित प्रत्याशियों पर विचार करना होगा,पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि आरक्षण के अनुरूप चेहरा कौन हो और उसे चुनाव मैदान में उतारने के पीछे स्थानीय समीकरण क्या हों, किसी वार्ड में पार्टी के पास पहले से सक्रिय नेता हो सकता है,लेकिन आरक्षण बदलने के कारण उसकी दावेदारी प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर जिस वार्ड में पहले किसी दावेदार को बहुत अधिक अवसर नहीं दिख रहा था,वहां आरक्षण अनुकूल होने पर उसकी दावेदारी अचानक महत्वपूर्ण हो सकती है,इसलिए आने वाले दिनों में वार्ड स्तर पर होने वाली बैठकों और पार्टी के अंदर होने वाली चर्चाओं पर निगाह रहेगी।

अध्यक्ष पद की राजनीति पर भी पड़ेगा असर

बैकुंठपुर नगर पालिका में इस बार केवल पार्षदों के चुनाव को लेकर ही राजनीतिक हलचल नहीं है, नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा के भीतर अलग-अलग स्तर पर दावेदारियों और संभावित चेहरों की चर्चा चल रही है,वार्ड आरक्षण सामने आने के बाद अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों के लिए भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं,हालांकि अध्यक्ष पद का आरक्षण अलग प्रक्रिया का विषय था जो हो चूका है, लेकिन वार्डवार प्रत्याशियों की संरचना किसी भी दल की अध्यक्ष पद की चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकती है,यानी अब चुनावी गणित दो स्तर पर चलेगा– एक तरफ वार्ड पार्षदों के टिकट, दूसरी तरफ नगरपालिका अध्यक्ष पद का चेहरा, यही वजह है कि आरक्षण की घोषणा को केवल वार्ड स्तर की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा रहा है।

पुराने चेहरों बनाम नए दावेदारों की लड़ाई- आरक्षण के बाद सबसे दिलचस्प स्थिति उन वार्डों में बनेगी जहां पहले से राजनीतिक रूप से सक्रिय चेहरों और नए दावेदारों के बीच टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा है, पुराने दावेदार अपने संगठनात्मक अनुभव और लंबे समय से किए जा रहे जनसंपर्क को आधार बनाएंगे, जबकि नए चेहरे पार्टी नेतृत्व के सामने नए विकल्प के रूप में अपनी दावेदारी रख सकते हैं,खासकर महिला आरक्षित वार्डों में राजनीतिक दलों को ऐसे चेहरों की तलाश करनी होगी जिनकी स्थानीय पकड़ और संगठन से जुड़ाव हो, वहीं एससी,एसटी और ओबीसी आरक्षित वार्डों में भी पार्टी के सामने संबंधित वर्ग के भीतर से उम्मीदवार चयन की चुनौती होगी,इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ आरक्षण ही टिकट का आधार नहीं होगा,बल्कि स्थानीय संगठन, दावेदार की सक्रियता,वार्ड में उसकी स्वीकार्यता और पार्टी की चुनावी रणनीति जैसे कई पहलू भी चर्चा में आ सकते हैं।

शिवपुर-चरचा में परिसीमन का मुद्दा भी चर्चा में- शिवपुर-चरचा में वार्ड आरक्षण के साथ-साथ वार्डों की आबादी और क्षेत्रफल को लेकर परिसीमन का मुद्दा भी पहले से चर्चा में रहा है, उपलब्ध नगरपालिका आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट में 15 वार्डों के बीच जनसंख्या और क्षेत्रफल में अंतर का उल्लेख किया गया है,रिपोर्ट के अनुसार कुछ वार्डों की आबादी एक हजार से कम है, जबकि वार्ड क्रमांक 3 की आबादी 1,585 बताई गई है, इसी तरह वार्ड क्रमांक 1 का क्षेत्रफल 6.30 वर्ग किलोमीटर बताया गया है,जो पालिका के कुल क्षेत्रफल का बड़ा हिस्सा है,हालांकि वर्तमान चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है,इसलिए अब राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की निगाह चुनावी कार्यक्रम और टिकट वितरण की अगली प्रक्रिया पर होगी।

अब दावेदारों की अगली दौड़ शुरू

आरक्षण से पहले तक चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कई स्तरों पर चल रही थी,लेकिन आरक्षण के बाद अब संभावित प्रत्याशियों को अपने वार्ड की वास्तविक स्थिति पता है,अब दावेदारों के सामने तीन तरह की स्थिति बन सकती है,पहली,जिस वार्ड में वे तैयारी कर रहे थे,वही वार्ड उनके लिए अनुकूल आरक्षण में आ गया है,दूसरी,उनका वार्ड ऐसी श्रेणी में चला गया है जिसमें वे चुनाव नहीं लड़ सकते या उनकी दावेदारी प्रभावित हो गई है,तीसरी,आरक्षण के कारण उन्हें दूसरे वार्ड से राजनीतिक विकल्प तलाशना पड़ सकता है,इसी वजह से आरक्षण के बाद आने वाले दिन टिकट की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होंगे।

अब चुनावी तस्वीर का अगला अध्याय टिकट से खुलेगा

बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तैयारी अब अगले चरण में प्रवेश कर गई है, प्रशासन ने वार्डों की आरक्षण स्थिति स्पष्ट कर दी है,लेकिन राजनीतिक दलों के लिए असली चुनौती अब शुरू होगी,किस वार्ड में किसे उतारा जाए? किस पुराने चेहरे पर भरोसा किया जाए? कहां नया चेहरा सामने लाया जाए? किस महिला दावेदार को मौका मिले? और आरक्षित वार्डों में पार्टी की पसंद कौन बने? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस की आंतरिक बैठकों से सामने आएंगे,बैकुंठपुर में 20 वार्ड और शिवपुर-चरचा में 15 वार्ड–कुल 35 वार्डों की आरक्षण तस्वीर साफ हो चुकी है,अब इन 35 वार्डों में टिकट के दावेदारों की दौड़ शुरू होगी,दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों के लिए समय भी सीमित है,आरक्षण ने वार्डों की तस्वीर साफ कर दी है,अब पार्टियों के टिकट तय करेंगे कि चुनावी मैदान में कौन-कौन चेहरे उतरते हैं,यही वह चरण होगा जहां संगठन की पसंद,स्थानीय समीकरण और दावेदारों की राजनीतिक सक्रियता आमने-सामने दिखाई देगी।

चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से कांग्रेस के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट : चंद्रमणि पैकरा

भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना,कहा...संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर उठाए जाने चाहिए

-संवाददाता-

सूरजपुर,29 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दिए गए संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधा है,सूरजपुर स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत सूरजपुर की अध्यक्ष चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण के बाद एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों पर स्थिति स्पष्ट हुई है।

चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते समय राजनीतिक दलों को तथ्यों और प्रमाणों को सामने रखना चाहिए,उन्होंने कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी से आयोग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के बाद अपने आरोपों पर पुनर्विचार करने तथा देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, निर्वाचन आयोग ने हाल में कहा है कि एसआईआर से जुड़े अंतिम निर्णय तीन सदस्यीय आयोग की सहमति से लिए गए थे,आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि विचार-विमर्श के दौरान सवाल या टिप्पणियां होना अलग बात है, लेकिन अंतिम आदेशों पर औपचारिक असहमति दर्ज नहीं की गई और संबंधित आदेशों पर तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

विपक्ष के दावों पर आयोग ने दिया स्पष्टीकरण-पत्रकार वार्ता में चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के भीतर मतभेद होने के दावे किए जा रहे थे, उनके अनुसार आयोग के संयुक्त बयान के बाद इस विषय पर आयोग का पक्ष सामने आ गया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है तो उसे अपने आरोपों के समर्थन में तथ्य और प्रमाण भी सार्वजनिक करने चाहिए,चंद्रमणि पैकरा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि भाजपा ऐसी संस्थाओं की निष्पक्षता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के पक्ष में है, हालांकि,एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं,राहुल गांधी ने 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की थी।

राहुल गांधी से माफी की मांग-चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि यदि चुनाव आयोग के संयुक्त बयान से कांग्रेस और विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का आधार कमजोर पड़ता है,तो राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को अपने बयानों पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है,लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए जाने वाले आरोपों के साथ प्रमाण भी होने चाहिए,उनके अनुसार बिना पर्याप्त तथ्यों के आरोप लगाने से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस के बीच राजनीतिक टकराव-एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव पिछले कुछ दिनों में तेज हुआ है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए हैं,जबकि भाजपा ने आयोग के स्पष्टीकरण को आधार बनाकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है,26 सितंबर को आयोग ने भी एसआईआर से जुड़े फैसलों को तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से लिए जाने की बात दोहराई,भाजपा का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं,लेकिन चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की चर्चा आधिकारिक दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।

फॉर्म-6 को लेकर भी भाजपा ने उठाया मुद्दा

पत्रकार वार्ता में फॉर्म-6 को लेकर भी चर्चा हुई, चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि जनता के बीच फॉर्म-6 और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है,जबकि निर्वाचन आयोग ने अलग-अलग प्रक्रियाओं को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है,उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में निर्धारित प्रावधान मौजूद हैं, उन्होंने रैन बसेरों,मजदूरों और बेघर लोगों तक पहुंचने तथा छूटे हुए पात्र नागरिकों से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।

लोकतांत्रिक संवाद तथ्यों पर आधारित हो...

चंद्रमणि पैकरा ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं और विपक्ष को सरकार तथा संस्थाओं से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए जाने की स्थिति में तथ्यों और प्रमाणों को भी सामने रखा जाना चाहिए,उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के संयुक्त स्पष्टीकरण के बाद एसआईआर, आयोग के निर्णयों और उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर आयोग का पक्ष जनता के सामने है,भाजपा ने कांग्रेस से अपील की कि वह संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को लेकर जिम्मेदार राजनीतिक संवाद कायम करे।

भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद...

पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, पूर्व भाजपा महामंत्री राजेश महलवाला, जिला प्रवक्ता मुकेश गर्ग, भाजपा जिला मंत्री दीपक गुप्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देव गुप्ता, मुकेश साहू, सहीम अंसारी, सोनू साहू और दीक्षित वर्मा सहित भाजपा एवं विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

CMYK

23 अक्टूबर को रूह कंपाने आ रही नई हॉरर फिल्म गांव की 'काली खेती' में दबे हुए राज दहलाएंगे दिल

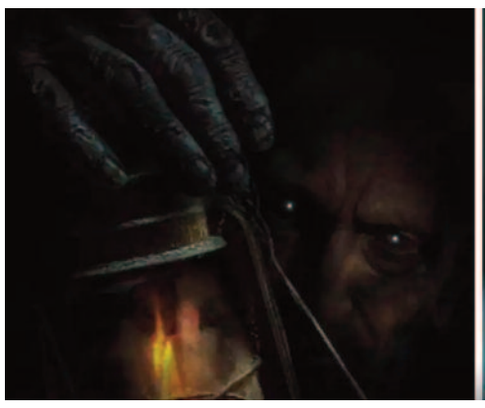

सिनेमाघरों में अक्टूबर के महीने में एक बॉलीवुड हॉरर फिल्म दस्तक देने वाली है। फिल्म का पोस्टर दिल दहलाने वाला है। अक्टूबर के महीने में कई नई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इन्हीं में से एक फिल्म हॉरर थ्रिलर है जो गांव की सुपरनैचुरल कहानी को पर्दे पर दिखाएगी।हाल ही में, मेकर्स ने नई हॉरर फिल्म का ऐलान किया है। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और शरद केलकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म है काली खेती।

काली खेती का हुआ ऐलान

जैकी श्रॉफ ने 29 सितंबर 2026 को अपनी नई फिल्म काली खेती का ऐलान किया है। यह एक सुपरनैचुरल रूरल थ्रिलर है। इसका पहला मोशन पोस्टर भी जारी किया गया है। दिल दहलाने वाले पोस्टर में अंधेरी रात, लालटेन और राक्षस दिखाया गया है। पोस्टर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी रोंगटे खड़े करता है।

मिर्जापुर की एक्ट्रेस भी फिल्म का हिस्सा

इस पोस्टर को शेयर करते हुए जैकी श्रॉफ ने कैप्शन में लिखा,रोशनी बुझने न देना, खेती जागने वाली है। साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट का नाम भी रिवील कर दिया गया है। फिल्म में जैकी और शरद के अलावा मिर्जापुर की एक्ट्रेस नेहा सरगम भी अहम भूमिका में हैं।

कब रिलीज होगी काली खेती?

हारिस इम्तियाज खान के निर्देशन में बन रही काली खेती की कहानी भी उन्होंने ही लिखी है। ब्लैककैनवस स्टूडियो के बैनर तले सना खान फिल्म का निर्माण कर रही हैं। यह फिल्म अगले साल 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

किससे टकराएगी काली खेती?

अक्टूबर के महीने में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनमें अजय देवगन की दृश्यम 3, नई नवेली, रणबाली और उड़ता तीर भी शामिल हैं। हालांकि, काली खेती इन फिल्मों से नहीं टकराएगी। इस फिल्म का क्लैश पहला प्यार दूसरी बार और तुम मेरे हो से होने वाली है। यह दोनों 23 अक्टूबर को ही रिलीज होने वाली है।

कोरियन थ्रिलर होप की भारत में रिलीज़ अब 23 अक्टूबर को होगी

बहुचर्चित कोरियन साइंस-फिक्शन थ्रिलर फिल्म होप की रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी गई है। यह फिल्म पहले भारत में 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब यह 23 अक्टूबर, 2026 को रिलीज़ होगी। रिलीज़ में देरी इसलिए की गई ताकि फिल्म की ज़रूरी स्क्रीनिंग और सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अब, फिल्म के इंग्लिश वर्शन को सीबीएफसी ने बिना किसी कट के मंज़ूरी दे दी है, जबकि इसके हिंदी, तमिल और तेलुगु डब्ड वर्शन के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। प्लस एम एंटरटेनमेंट द्वारा पेश और फोर्जेड फिल्म्स, प्लस एम एंटरटेनमेंट और वेस्टवर्ल्ड द्वारा समर्थित यह फिल्म भारत में स्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए रिलीज़ की जा रही है। होप की वर्ल्ड वाइड रिलीज़ इस साल नवंबर में तय की गई है। इस बीच, यह फिल्म इस हफ़्ते यूके, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड में प्रीमियर होगी। इसके बाद, अक्टूबर में यह अर्जेंटीना, जर्मनी, फ़्रांस और स्पेन के साथ-साथ अन्य इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ होगी। होप को जाने-माने फिल्ममेकर ना होंग-जिन ने डायरेक्ट किया है, जो द चेज़र,द येलो सी और द वेलिंग जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं। एक दूर-दराज़ के बंदरगाह वाले शहर पर आधारित यह फिल्म एक अनजान चीज़ के मिलने और उससे शुरू होने वाली रहस्यमयी और खतरनाक घटनाओं की कहानी है। होप में ह्वांग जंग-मिन, जो इन-सुंग, जंग हो-योन, माइकल फ़ैसबेंडर, एलिसिया विकेंडर और टेलर किच जैसे कई कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। होप का वर्ल्ड प्रीमियर 17 मई, 2026 को कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। यह फिल्म स में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कोरियन फिल्म बन गई है, जिसने 7 मिलियन यूएस से ज़्यादा की कमाई की है। होंग क्युंग-प्यो सिनेमैटोग्राफर हैं, जबकि किम सन-मिन एडिटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं।

गोविंदा संग रिश्ते पर फिर बोलीं सुनीता आहूजा,इस बार बदले नजर आए तेवर

बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच गोविंदा का नाम कोमल रानी स्वर्णकर के साथ जोड़े जाने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। अब सुनीता आहूजा ने एक बार फिर अपने और गोविंदा के रिश्ते को लेकर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इस बार उनके तेवर पहले की तुलना में काफी बदले हुए नजर आए। मामले की शुरुआत तब हुई जब गोविंदा को मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान कोमल रानी स्वर्णकर के साथ देखा गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर चर्चा तेज हो गई और कोमल को अभिनेता की कथित गर्लफ्रेंड बताया जाने लगा। इसके बाद सुनीता आहूजा ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बातचीत के दौरान गोविंदा को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिसकी तुलना सोशल मीडिया पर वफादारी और रिश्तों से जोड़कर की जाने लगी। उनकी बातों के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। सुनीता की लगातार बयानबाजी के बीच कोमल रानी स्वर्णकर ने भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपनी बात रखी और अप्रत्यक्ष रूप से सुनीता आहूजा के बयानों पर जवाब दिया। कोमल ने अपने पोस्ट में कहा कि उन पर किसी का घर तोड़ने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उनके मुताबिक पहले से टूटे हुए घर को कोई और क्या तोड़ेगा। उनका यह बयान तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। इसके बाद मामला केवल गोविंदा और सुनीता के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कोमल के बयान ने एक नया मोड़ ला दिया। तीनों को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की चर्चाएं होने लगीं। अब एक बार फिर सुनीता आहूजा ने अपने और गोविंदा के रिश्ते पर खुलकर बात की है। हालांकि इस बार उनकी बातों में पहले जैसी तल्खी नजर नहीं आई।

उर्वशी रौतेला की पहचान के एआई इस्तेमाल पर विवाद,लीगल एक्शन की तैयारी

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की टीम ने दावा किया है कि वे लॉस एंजिल्स की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। आरोप है कि कंपनी ने बिना इजाज़त के उनके नाम, तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया है। एक्ट्रेस की टीम के बयान के मुताबिक,कंपनी ने कथित तौर पर बिना इजाज़त के उर्वशी की पहचान और कंटेंट का इस्तेमाल किया। टीम ने कहा कि वे ज़रूरी कानूनी कदम उठा रहे हैं और फिलहाल हर्जाने की रकम 7,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। टीम ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि एक्ट्रेस के नाम, तस्वीर या उनकी जैसी दिखने वाली चीज़ों का कोई भी कमर्शियल इस्तेमाल सिर्फ़ सही इजाज़त के साथ ही किया जाना चाहिए। एक खास बयान में उर्वशी की टीम ने कहा, कथित तौर पर उनके बिज़नेस ने उर्वशी के नाम, तस्वीरों और वीडियो का बिना इजाज़त इस्तेमाल करके अरबों डॉलर की वैल्यू बनाई है। हम लॉस एंजिल्स की इस कंपनी के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कदम उठा रहे हैं, जिसमें हर्जाने की रकम फिलहाल 7,000 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। अपनी-ढ्ढ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कंपनी बनाएं। अपना ब्रांड बनाएं। लेकिन जब तक आपके पास इजाज़त न हो, उर्वशी का नाम अपने बिज़नेस से दूर रखें। टीम उर्वशी रौतेला।÷

खेल-समाचार

भारतीय महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रचा इतिहास,भारत की झोली में आया छठा गोल्ड

नई दिल्ली,29 सितम्बर 2026। भारतीय महिला टीम ने 4×400 मीटर रिले रेस में कमाल कर दिया है। भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इस तरह भारत के खाते में छठा गोल्ड मेडल आ गया है। एशियन गेम्स 2026 में भारत को एक और गोल्ड मेडल मिल गया है। भारतीय वूमेन्स टीम ने 4×400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। एशियन गेम्स में 2018 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय महिला टीम ने 4×400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता। भारत के खाते में आया ये छठा गोल्ड मेडल है। नागोया में भारतीय महिला एथलेटिक्स टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने रिले ट्रैक पर रोमांच की सारी हदें पार कर दीं। कड़ी टक्कर के बीच भारतीय चौकड़ी ने महिलाओं की 4×400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीत लिया। किरण पाहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज की टीम ने 3 मिनट 29.69 सेकंड का समय निकालकर भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया। भारत के पीछे बहरीन की टीम ने भी जोरदार चुनौती पेश की। बहरीन ने 3 मिनट 30.21 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि चीन 3 मिनट 31.02 सेकंड में रेस पूरी कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में सफल रहा।

विथ्या रामराज ने दिखाई फुर्ती

दूसरी ओर, बहरीन की स्टार धाविका सलवा ईद नस्र आखिरी लेग में सबसे पीछे से दौड़ शुरू करने के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने एक-एक करके अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ना शुरू किया और भारत के करीब पहुंच गईं। लेकिन विथ्या ने आखिरी तक अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी और भारत को गोल्ड तक पहुंचाकर ही दम लिया।विथ्या के लिए यह एशियन गेम्स बेहद खास बन गया है। उन्होंने एक दिन पहले ही पीटी उषा का 400 मीटर हर्डल्स का रिकॉर्ड तोड़कर सुर्खियां बटोरी थीं। अब 4×400 मीटर रिले में गोल्ड जीतकर उन्होंने इन गेम्स में अपना तीसरा मेडल भी हासिल कर लिया है। भारतीय महिला टीम का पिछला एशियन गेम्स अभियान सिल्वर मेडल के साथ समाप्त हुआ था। इस बार टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पोडियम पर सबसे ऊपर जगह बनाई। किरण पाहल, पूवम्मा एमआर, प्राची और विथ्या रामराज ने दिखाई फुर्ती।

भारत का स्टार्ट रहा धीमा

भारत की शुरुआत हालांकि बहुत तेज नहीं रही। पहली धावक किरण पाहल ने शुरुआत में कुछ समय गंवाया और जब उन्होंने बैटन पूवम्मा एमआर को सौंपा, तब भारतीय टीम तीसरे स्थान पर थी। लेकिन अनुभवी पूवम्मा ने मोर्चा संभालते हुए तेजी दिखाई और भारत को आगे पहुंचा दिया। इसके बाद प्राची ने बैटन संभाली और भारत को शीर्ष स्थिति के आसपास बनाए रखा। अंतिम लेग की जिम्मेदारी विथ्या रामराज पर थी। भारतीय धाविका ने बैटन मिलते ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी।

मेन्स टीम को मिला ब्रॉन्ज

दूसरी तरफ, भारत ने मेन्स 4×400 मीटर रिले में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय टीम में दूसरे और चौथे नंबर पर मनु टी और विशाल टीके ने शानदार दौड़ लगाई, लेकिन वे जापान और कतर से आगे नहीं निकल पाए। जापान ने गोल्ड जबकि कतर ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 4×400 मीटर मिक्स्ड रिले में भी भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

गुलवीर सिंह ने रचा इतिहास,एक एशियन गेम्स में 3 मेडल जीतने वाले बने चौथे भारतीय

नई दिल्ली,29 सितम्बर 2026। गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में अपने मेडल्स की हैट्रिक पूरी कर ली। 29 सितंबर को नागोया में उन्होंने मेन्स 5000 मीटर दौड़ में 13 मिनट 32.75 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत के स्टार एथलीट गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया है। गुलवीर ने एशियन गेम्स 2026 में 3 मेडल जीतने का बड़ा कारनामा कर दिया है। 29 सितंबर को गुलवीर ने मेन्स 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा एशियन गेम्स में तीन मेडल जीतने का बड़ा करिश्मा कर दिया। इस तरह वह एक ही एशियन गेम्स में 3 या उससे ज्यादा मेडल जीतने वाले सिर्फ चौथे भारतीय एथलीट बन गए। 40 साल बाद ऐसा देखने को मिला है। इससे पहले पीटी उषा ने 1986 के एशियन गेम्स में 4 इंडिविजुल मेडल जीते थे।

बिरहानु बाल्यू ने जीता गोल्ड मेडल

गुलवीर ने 5000 मीटर की रेस पूरी करने में 13 मिनट 32.75 सेकंड का समय लिया। वह बहरीन के बिरहानु बाल्यू और जापान के टोमोनोरी यामागुची के बाद तीसरे स्थान पर रहे। बिरहानु बाल्यू ने 13 मिनट 30.79 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि जापान के टोमोनोरी यामागुची ने 13 मिनट 31.43 सेकंड में रेस पूरी करके सिल्वर मेडल हासिल किया।

गुलवीर ने लगाई मेडल की झड़ी

5000 मीटर का ब्रॉन्ज गुलवीर का इस एशियन गेम्स में तीसरा मेडल है। इससे पहले वह मेन्स 1500 मीटर और 10000 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। 1500 मीटर फाइनल में गुलवीर ने 3 मिनट 31.13 सेकंड का समय निकाला था। वहीं, 10000 मीटर दौड़ में उन्होंने 28 मिनट 29.38 सेकंड का समय दर्ज करते हुए सिल्वर हासिल किया था। 10000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतना गुलवीर के लिए एक सुधार था, क्योंकि उन्होंने हांगझोऊ में हुए पिछले इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गुलवीर ने इस साल की शुरुआत में कॉमनवेल्थ गेम्स में दो मेडल जीते थे।

न्यायालय नायब तहसीलदार कुन्नी, लखनपुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

क्रमांक/31/ज. मृ./2026
कुन्नी,दिनांक 23/09/2026

ईश्तहार

प्रति,
समस्त ग्रामवासी
ग्राम अरगोती तहसील लखनपुर
जिला सरगुजा (छ.ग.)

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामजित लकड़ा मृत्यु दिनांक आ0 हगरु लकड़ा निवासी ग्राम अरगोती के द्वारा अपने दादा स्व0 ढोलाराम की 11.01.2009 को होना बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेशी तिथि 08.10.2026 के पूर्व इस न्यायालय में आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात् होने वाले दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

नायब तहसीलदार
उप तहसील-कुन्नी,लखनपुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)
सील

न्यायालय कार्यालय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर,जिला-कोरिया (छ0ग0)

ईश्तहार

कमांक 4 (वाचक-2/तह0 2026
बैकुण्ठपुर दिनांक 28/9/2026

एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम खुटनपारा के आम जनता को ईश्तहार के जरिए सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका सावित्री विशवास पिता/पति सुशील कुमार मंडल जाति नमोसुद निवासी बैकुंठपुर तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के द्वारा सावित्री विश्वास निवासी..बैकुठपुर का जन्म दिनांक 04/06/1958 को होने के कारण जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पर जिस किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो स्वयं अथवा अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर इस न्यायालय मे दिनांक 3/10/2026 को 11:00 बजे तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निधारित समयावधि के बाद प्राप्त आपित्तयों पर कोई सुनवाई नही होगी।

आज दिनांक 28/9/2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
बैकुण्ठपुर,जिला -कोरिया
सील

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला- सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विमल हालदार पिता मनोरंजन हालदार व अन्य निवासी ग्राम अजिरमा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा द्वारा ग्राम अजिरमा स्थित भूमि खसरा न0 2, 3, 8, 9, 57 / 1, 58 / 1, 60, 61 रकबा कमशः 0.060, 0.310, 1.070, 0.820, 0.026, 0.151, 0.230, 0.900 हे0 भूमि भूमि का आपस में खाता बावत् आवेदन छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 23/10 / 2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा

आज दिनांक 28/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-02
सील

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3 जिला- सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रमोद पाण्डेय आ0 स्व0 सुरेश चन्द्र पाण्डेय निवासी ब्रम्हपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम नवागढ़ स्थित भूमि खसरा नं0 282 / 2 रकबा 0.349 हे0 भूमि के नक्शा में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर है । के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

उक्त संबंध किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 12/10/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 28/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

नायब तहसीलदार,
अम्बिकापुर- 03
सील

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला- सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका चुल्की उर्फ नेहा पति अमरलाल, पिता स्व0 जगमोहन, व अन्य 01, जाति लोहार, निवासी ग्राम मेण्ड्राखुर्द, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा ग्राम मेण्ड्राखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 423, 424, 425, 426 / 1, 654 रकबा नंबर क्रमशः 0.008, 0.012, 0.057, 0.002, 0.202 हे0 भूमि का आवेदिकागण एवं अनावेदक शत्रुनारायण आ0 जगमोहन, निवासी ग्राम मेण्ड्राखुर्द, तहसील अम्बिकापुर के मध्य 1/3 भाग में विभाजन किये जाने हेतु छ0ग0 भू-राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 26/10/2026 तक इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 28/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-02
सील

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र./....

ईश्तहार

आगामी तिथि 29/10/26

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक विमल अग्रवाल आ0 स्व. मक्खन लाल अग्रवाल, उम्र लगभग 42 वर्ष, जाति अग्रवाल, निवासी नया बाजारगली सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक के बाबा स्व. रामनिवास आ0 स्व. मानिकचंद के एकमात्र स्वामित्व एवं अधिपत्य की नजूल भूमि नगर सूरजपुर में स्थित है, जिसका प्लाट नम्बर 2905 / 3 रकबा 2174 वर्गफुट है। आवेदक के बाबा की मृत्यु दिनांक 18/08/1997 को एवं आवेदक के पिता स्व. मक्खनलाल अग्रवाल की मृत्यु आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व, दादी की मृत्यु कई वर्ष पूर्व होने से आवेदन पत्र में दर्षित वंशवृक्ष अनुसार फौती नामांतरण दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था / विभाग को कोई दावा / आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक / लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा / आपत्ति दिनांक 29/10 / 2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 29/9/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
,सूरजपुर
सील

मुख्यमंत्री साय ने पारस पोर्टल के माध्यम से की प्रमुख योजनाओं एवं विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा

पारस पोर्टल से योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग,अंतर्विभागीय समन्वय से विकास कार्यों को मिलेगी गति : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,29 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा,जब उनका लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उसका प्रभाव धरातल पर स्पष्ट दिखाई दे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पारस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं एवं विकास कार्यों की नियमित निगरानी के साथ विभागों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है,ताकि क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं की समय रहते पहचान कर उनका त्वरित समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री साय आज मंत्रालय महानदी भवन में पारस पोर्टल के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न विभागों की प्रमुख योजनाओं, अधोसंरचना परियोजनाओं और जनसेवाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों से योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शासन की कार्यप्रणाली में अंतर्विभागीय समन्वय की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। अनेक विकास परियोजनाओं में एक से अधिक विभागों की अनुमति,सहभागिता अथवा सहयोग आवश्यक होता है। ऐसे में विभाग अलग-अलग स्तर पर कार्य करने के बजाय समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं। इससे परियोजनाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, अनावश्यक विलंब दूर होगा तथा समय और लागत दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पारस पोर्टल का उद्देश्य केवल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना नहीं, बल्कि उन कारणों की पहचान कर समाधान सुनिश्चित करना भी है,जिनके कारण कोई परियोजना या योजना अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। राज्य स्तर से लेकर जिलों तक सभी अधिकारी इसे परिणाम आधारित प्रशासन के प्रभावी माध्यम के रूप में उपयोग करें।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिले अपेक्षित गति : मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में और तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वेंडर्स की संख्या बढ़ाने, सोलर दीदियों को प्रोत्साहित करने तथा हितग्राहियों के लिए ऋण की उपलब्धता को और सुगम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा योजना में उपलब्ध कराई जा रही सब्सिडी का अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभ उठा सकें,इसके लिए जिलों में व्यापक जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने कलेक्टरों को योजना में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए बैंकिंग सुविधा, वेंडर चयन से लेकर सोलर संयंत्र की स्थापना तक पूरी प्रक्रिया को हितग्राही के लिए सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के निर्देश दिए।

सड़क और पुल-पुलियों के लंबित कार्यों की बाधाएं तत्काल दूर करें : मुख्यमंत्री साय ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत संचालित सड़क,पुल एवं पुलिया निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर सड़क संपर्क सीधे आम नागरिकों की सुविधा, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लंबित कार्यों और उनके कारणों की परियोजनावार जानकारी ली तथा संबंधित कलेक्टरों को भूमि संबंधी प्रकरणों और जिला स्तर पर लंबित अन्य प्रक्रियाओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

एग्रीस्टैक में कोई भी पात्र किसान पंजीयन से न रहे वंचित

मुख्यमंत्री साय ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि एग्रीस्टैक को केवल धान खरीदी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक सरलता,पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण आधारभूत व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिलों में विशेष अभियान चलाकर एग्रीस्टैक तथा डीसीएस से संबंधित लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। प्रत्येक वास्तविक किसान का पंजीयन सुनिश्चित हो और किसी पात्र किसान को धान विक्रय अथवा शासन की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में सामने आई व्यावहारिक कठिनाइयों से सीख लेते हुए इस वर्ष पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की लापरवाही के कारण यदि कोई पात्र किसान लाभ से वंचित होता है तो उसकी जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण की जिलेवार प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अपेक्षाकृत पीछे चल रहे जिलों को निर्धारित समय-सीमा में सर्वेक्षण पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही अथवा अपेक्षित सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

बाढ़ प्रभावित परिवारों तक शीघ्र पहुंचे राहत और सहायता

मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में विगत दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति तथा संचालित राहत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि भारी बारिश से प्रदेश के 17 जिलों के 500 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं और बस्तर संभाग के जिलों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को जनहानि,मकानों,पशुधन,अनाज तथा अन्य संपत्तियों को हुई क्षति का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने और पात्र प्रभावित परिवारों तक सहायता राशि यथाशीघ्र पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षति के आकलन से लेकर सहायता राशि प्रदान करने तक की प्रक्रिया संवेदनशीलता और तत्परता के साथ पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों एवं स्वास्थ्य शिविरों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने हैंडपंपों का क्लोरीनीकरण कराने तथा नागरिकों को पानी उबालकर पीने के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों को यह भरोसा होना चाहिए कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। राहत और पुनर्वास के प्रत्येक कार्य में मानवीय संवेदना सर्वोपरि होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय योगदान देने वाले स्व-सहायता समूहों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना की और कलेक्टरों को ऐसे समूहों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

दुर्ग यूनिवर्सिटी के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप हटाए गए

उच्च शिक्षा संचालनालय भेजे गए,साइंस कॉलेज के डॉ. अनिल पांडेय होंगे प्रभारी रजिस्ट्रार,आदेश जारी...

दुर्ग-भिलाई,29 सितम्बर 2026। हेमचंद यादव विश्व विद्यालय (दुर्ग विश्वविद्यालय) के कुलसचिव भूपेंद्र कुमार कुलदीप की पदस्थापना शासन ने बदल दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने मंगलवार देर शाम आदेश जारी कर उन्हें कुलसचिव पद से हटाकर उच्च शिक्षा संचालनालय,इंद्रावती भवन, नवा रायपुर में पदस्थ किया है। उनकी जगह शासकीय वी. वाई. टी. महाविद्यालय दुर्ग के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ. अनिल कुमार पांडेय को विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलसचिव बनाया गया है।

3 अगस्त को दर्ज हुई थी एफआईआर : भूपेंद्र कुलदीप के खिलाफ विश्वविद्यालय की एक दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के वेतन से कथित तौर पर राशि लिए जाने के मामले में 3 अगस्त 2026 को मोहन नगर थाने में बीएनएस की धारा 316(4) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

एफआईआर के बाद वित्तीय अधिकार वापस लिए गए : मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने भी कुलसचिव की वित्तीय भूमिका पर निर्णय लिया था। 29 अगस्त को भूपेंद्र कुलदीप के वित्तीय अधिकार वापस ले लिए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय के भुगतान संबंधी दस्तावेजों और बैंकिंग लेन-देन में वित्त अधिकारी के साथ दूसरे अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के तौर पर अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. नीलू श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दी गई थी। कुलसचिव के हस्ताक्षर से वित्तीय लेन-देन नहीं करने की व्यवस्था की गई थी।

कार्यपरिषद के फैसले में विश्वविद्यालय के वित्तीय हित, प्रशासनिक निष्पक्षता और कामकाज की निरंतरता को ध्यान में रखने की बात कही गई थी। इसी दौरान विश्वविद्यालय के पिछले तीन वर्षों के वित्तीय लेन-देन के ऑडिट की मांग भी सामने आई थी।

विश्वविद्यालय में शिकायत मिलने के बाद गठित तथ्य-संग्रह समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। मामले में कुलदीप पर महिला कर्मचारी के वेतन से राशि लेने और उसका एक हिस्सा उनके बेटे के खाते में ट्रांसफर कराने के आरोप लगाए गए थे।

छत्तीसगढ़ में 125 अफसरों का ट्रांसफर : अपर-डिप्टी और संयुक्त कलेक्टर भी बदले,पुलक भट्टाचार्य को सूडा के अतिरिक्त सीईओ का प्रभार...

रायपुर,29 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को तबादला आदेश जारी किया। अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर नई पदस्थापना दी गई है। तबादला सूची में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और प्रवर श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। कई जिलों के संयुक्त कलेक्टर भी बदले गए हैं। जिलों से लेकर मंत्रालय स्तर तक अधिकारियों का फेरबदल किया गया है।

पुलक भट्टाचार्य को सूडा के अतिरिक्त सीईओ का प्रभार

पुलक भट्टाचार्य सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। वे पीएमओटी मिशन कर्मयोगी के समन्वयक और नगरीय प्रशासन-विकास संचालनालय में अपर संचालक के अतिरिक्त प्रभार में हैं। आदेश के अनुसार,वर्तमान दायित्वों के साथ उन्हें राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), रायपुर के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विपुल गुप्ता को कर्मकार मंडल का अतिरिक्त प्रभार

विपुल कुमार गुप्ता श्रम विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ सचिव,छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विनायक शर्मा को नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक बनाया

विनायक शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य शिष्टाचार कार्यालय में राज्य शिष्टाचार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उनके पास उप सचिव,खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है। आदेश के अनुसार, उन्हें नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है।

डॉ. ऋतु वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार : डॉ. ऋतु वर्मा सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव (कक्ष-6 एवं 7) के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ को छत्तीसगढ़ संवाद के प्रभार से हटाया : वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ कृषि विकास-किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अवर सचिव के पद पर पदस्थ हैं। वे छत्तीसगढ़ संवाद में उप महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। आदेश के अनुसार,उन्हें छत्तीसगढ़ संवाद के उप महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके शेष दायित्व यथावत रहेंगे।

पुष्पेन्द्र शर्मा बने राज्य शिष्टाचार अधिकारी : पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य शिष्टाचार अधिकारी के कार्यालय में सत्कार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। आदेश के अनुसार,उन्हें राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ किया गया है।

महानदी जल विवाद पर 1 अक्टूबर को बैठक

गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग,सीएम साय-मांझी समेत दोनों राज्यों के अधिकारी रहेंगे मौजूद

रायपुर,29 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक प्रस्तावित है।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ओडिशा के महाधिवक्ता पितांबर आचार्य ने बैठक की जानकारी दी है।

जल बंटवारे पर होगी बातचीत : बैठक में महानदी के जल के बंटवारे और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दोनों राज्यों के पक्षों पर चर्चा होगी। महाधिवक्ता आचार्य के अनुसार, दोनों राज्यों के बीच आपसी समझ के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय जल आयोग के सचिव ने पिछली बैठकों से जुड़ी जानकारी महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष भी प्रस्तुत की है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।

20 सितंबर को हुई थी दोनों सीएम की मुलाकात : इससे पहले 20 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच एक घंटे से ज्यादा समय तक अलग-अलग मुद्दों के साथ महानदी जल विवाद पर भी चर्चा हुई थी। बैठक के बाद सीएम साय ने कहा था कि दोनों राज्यों के बीच इस विषय को लेकर समाधान की दिशा में बातचीत चल रही है और जल्द रास्ता निकलने की उम्मीद है।

30 जुलाई को भी हुई थी बैठक : महानदी जल विवाद को लेकर 30 जुलाई को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में भी दोनों मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। केंद्र सरकार के अनुसार बैठक का उद्देश्य बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए विवाद का समाधान तलाशना था। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल में यह मामला 2018 से लंबित है। 1 अक्टूबर की बैठक को इसी बातचीत की अगली कड़ी माना जा रहा है। इसमें दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में 19 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार

नई पोस्टिंग भी मिली, 10 दिन में ज्वाइन करना होगा

रायपुर,29 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 19 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी है। प्रमोशन के साथ ही इन अधिकारियों की नई पदस्थापना भी की गई है। कुछ अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। जबकि कुछ को वर्तमान जिले में ही नई जिम्मेदारी दी गई है। पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान जगह से कार्यमुक्त होने के दिन से 10 दिन के भीतर नई पदस्थापना वाली जगह पर कार्यभार संभालना होगा। तय समय में ज्वाइन नहीं करने पर पदोन्नति आदेश अपने आप निरस्त माना जाएगा।

CGPSC-घोटाला...आरोपी सोनवानी को मेकाहारा-अस्पताल में VIP ट्रीटमेंट

बिना हथकड़ी परिजनों से बात करते दिखे,एक प्रहरी सस्पेंड बिलासपुर-जगदलपुर के प्रहरियों पर एक्शन के लिए पत्र

रायपुर,29 सितम्बर 2026। CGPSC भर्ती घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल लाए जाने के दौरान कथित VIP ट्रीटमेंट मिलने का मामला सामने आया है। दावा है कि अस्पताल में सोनवानी बिना हथकड़ी के परिजनों से बातचीत करते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले में रायपुर प्रहरी संदीप कुमार महेश्वरी को सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि बिलासपुर के प्रहरी पवन कुमार लहरे और जगदलपुर के प्रहरी नगेंद्र कुमार महतो पर कार्रवाई करने के लिए दोनों केंद्रीय जेलों को पत्र लिखा गया है।

इलाज के नाम पर अस्पताल पहुंचे : जानकारी के मुताबिक, सोनवानी को स्वास्थ्य संबंधी जांच या इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान वे अस्पताल परिसर में परिजनों से बातचीत करते दिखाई दिए। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे।

बिना हथकड़ी के दिखे : अस्पताल में सोनवानी के बिना हथकड़ी नजर आने को लेकर भी चर्चा है। हालांकि,किसी कैदी को अस्पताल ले जाते समय हथकड़ी लगाने या नहीं लगाने का निर्णय सुरक्षा परिस्थितियों और संबंधित नियमों के तहत किया जाता है। इस मामले में अधिकारियों की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सोनवानी को किस प्रक्रिया के तहत अस्पताल लाया गया था।

ED ने 23 सितंबर को दाखिल की अभियोजन शिकायत : इस मामले में ED ने 23 सितंबर को विशेष PMLA कोर्ट रायपुर में टामन सिंह सोनवानी, पूर्व OSD चेतन बोरघरिया और बाकी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। ED की शिकायत के साथ करीब 3,700 पेज के दस्तावेज और 99 पेज की समरी पेश की गई है।

वीआईपी सुविधा मिलने का यह पहला मामला नहीं : मेकाहारा अस्पताल में बंदियों या आरोपियों को सुविधा देने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए है। अक्टूबर 2024 में मेकाहारा में हथियार सप्लाई के आरोपी को इलाज के दौरान कथित VIP ट्रीटमेंट मिलने की खबर सामने आई थी।

रायपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर DGGI की रेड

गोदाम में 50 बोरे से ज्यादा गुटखा मिला,महाराष्ट्र से इनपुट के बाद कार्रवाई

रायपुर,29 सितम्बर 2026। रायपुर में गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापेमारी की है। मंगलवार को महाराष्ट्र से मिले इनपुट के बाद अधिकारियों की टीम 3 गाड़ियों में कारोबारी के ठिकाने पर पहुंची। टीम ने यहां दस्तावेजों और गुटखा के स्टॉक की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक शदाणी दरबार मार्केट में स्थित एक गोदाम में बड़ी मात्रा में सितार गुटखा रखे होने की जानकारी मिली थी। अफसरों ने रेड मारी तो गोदाम में 50 बोरे से ज्यादा सितार गुटखा मिले। गोदाम में रखा गुटखा किसका है? इसका पता लगाने में अफसर जुटे हुए हैं।

3 गाड़ियों में पहुंची थी टीम : बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से मिले इनपुट के बाद DGGI के अधिकारी रायपुर पहुंचे। इसके बाद 3 गाड़ियों में टीम कारोबारी के ठिकाने पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके पर गोदाम मालिक और कुछ लोगों को भी बुलाया गया और पूछताछ की गई। पूरी कार्रवाई की DGGI की टीम ने वीडियो रिकार्डिंग भी की है।

गुटखा किंग बंटी से जुड़ रहे तार : DGGI सूत्रों के अनुसार जिस गोदाम में मंगलवार की दोपहर को दबिश देकर गुटखा जब्त किया गया। वो गुटखा कारोबारी बंटी का बताया जा रहा है। कारोबारी बंटी का दुर्ग में पार्टनर है, जहां पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कारोबारी बंटी महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहा है। महाराष्ट्र में कल्याण के पास फैक्ट्री डाली है। वहीं से गुटखा बनवाकर छत्तीसगढ़,मध्य प्रदेश, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। 9 दिन पहले दुर्ग जिले में सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा था। कुम्हारी के स्टेशन चौक इलाके में एक फैक्ट्री के अंदर सितार कंपनी का गुटखा बनाया जा रहा था। इस दौरान गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली 2 मशीनें और करीब 30 बोरा गुटखा जब्त किया गया था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)